रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 19 सितम्बर, 2007 / 28 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

,शिमला–171002, 11 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–14 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल थात, मौजा सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि–अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टियर में
कागड़ा	इन्दौरा	थात	888/1 900/1 918/1/1 925/1 किता–4	0-02-07 0-03-44 0-02-72 0-00-73 0-08-96 है०

शिमला–171002, 10 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–92 / 2006–सिरमौर.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव किश्न–पुरा, तहसील पावटा सहिब जिला सिरमौर सिवरेज जोन न0–3, (बद्रीपूर)जम्मु खाला पावंटा साहिब के निर्माण हेतु भुमि ले जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड़ शिमला–3, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र / बीघे में
सिरमौर	पावटा सहिब,	किश्न–पुरा,	166 / 12	9–8

शिमला–171002, 11 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–60 / 2007–हमीरपुर–1.–यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मल निकासी योजना हमीरपुर शहर जोन–3 निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश

करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र वर्ग मीटर में
हमीरपुर	**हमीरपुर**	**भहेड़ खुर्द व मौजा–वजूरी**	**123 / 2** **123 / 3** **किता–2**	**0–01–10** **0–06–10** **0–07–20 है0**

शिमला–171002,11 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–56 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल व मौजा चुहड़पुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं,या हो सकतें है की जानकारी लिए भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

3. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा –5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टियर में
कांगड़ा	इन्दौरा	चुहड़पुर	183/1	0-05-74
			181/1	0-02-52
			179/1	0-01-44
			265/1	0-01-26
			265/4	0-02-37
			264/1	0-00-77
			272/1	0-04-92
			282/1	0-00-24
			275/1	0-02-11
			283/1	0-01-20
			273/1	0-05-01
			274/1	0-00-35
			287/1	0-00-60
			288/1	0-02-25
			278/1	0-00-07
			277/1	0-03-86
			280/1	0-00-75
			286/1	0-07-11
			किता–18	0-41-87 है०

शिमला–171002, 11 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–57 / 2007–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल बहादपुर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टियर में
कांगड़ा	फतेहपुर	बहादपुर.	737/1	0-00-70
			737/3	0-00-44
			738	0-01-51
			739/2	0-10-38
			740	0-02-31
			1516/2	0-00-18
			1517/1	0-02-18
			1523/1	0-08-70
			1626/1	0-05-29
			1626/2	0-01-10
			1631/1	0-01-47
			1634/1	0-03-48
			1636/1	0-07-24
			1643/1	0-02-28
			1645	0-00-18
			1646/1	0-03-72
			1647	0-00-50
			1648/1	0-01-14
			1648/3	0-00-62
			1790/1	0-22-68
			1791/1	0-00-63
			1836/1	0-01-02
			1837/1	0-01-54
			1876/1	0-00-29
			1876/3	0-00-48
			1878	0-01-36
			1879/1	0-01-87
			1879/3	0-09-90
			1886/1	0-02-40
			1901/1	0-03-09
			किता–30	0-98-68 है०

शिमला–171002, 10 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–89 / 2006–कांगड़ा.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मियाणी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्याधिक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक

मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर उक्त अधिनियम की धार (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र / हॅक्टियर में
कांगड़ा	इन्दौरा	मियाणी	578/1	0-02-48
			579/2/1	0-01-17
			568/1	0-02-16
			518/1	0-02-48
			520/1	0-01-44
			521/1	0-07-40
			525/1	0-04-28
			543/1	0-03-96
			370/1	0-02-52
			355/1	0-01-87
			785/752/1	0-02-84
			354/1	0-06-52
			301/1	0-03-84
			303/1	0-00-83
			304/1	0-05-80
			292/1	0-00-90
			291/1	0-01-08
			289/1	0-00-54
			282/1	0-01-86
			272/1	0-03-72
			263/1	0-03-20
			260/1	0-01-40
			121/1	0-05-44
			130/1	0-06-32
			133/1	0-03-66
			किता-25	0-77-35 है0

शिमला–171002, 1 सितम्बर, 2007

संख्याः सिंचाई11–103 / 2006–सिरमौर.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव ओगली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर टयुब वैल, पम्प हाउस, टैक व रास्ता उठाऊ पेयजल योजना मोगीनन्द के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड शिमला–3 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू–अर्जन लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला–3 हिमाचल

प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र / बीघा–बिस्वे में
सिरमौर	नाहन,	ओगली,	627 / 548 / 4 / 1	0–1–0
			49 / 1	0–3–0
			49 / 2	0–2–5
			510 / 416 / 1	0–2–10
			किता–4	0–8–15

शिमला–171002,1 सितम्बर, 2007

संख्याःसिंचाई11–59 / 2007–हमीरपुर.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव हियोड़, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में जल भण्डारण टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षे में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, मण्ड़ी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र कनाल–मरला में
हमीरपुर	भोरंज	हियोड़	198/1	0-05

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

———

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA .

NOTIFICATIONS

Shimla, the 1st September, 2007

No.HHC/GAZ/14-273/2003.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 7 days earned leave w.e.f. 16.7.2007 to 24.7.2007 with permission to prefix Sunday and

Special Casual leave w.e.f. 1.7.2007 to 15.7.2007 in favour of Shri Pankaj, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (3),Una.

Certified that Shri Pankaj has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pankaj would have continued to hold the post of Civil judge (Jr. Divn.) Cum-JMIC (3), Una, but for his proceeding on leave for the above period.

———

Shimla, the 13th September, 2007.

No.HHC/GAZ/14-258/03.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 14 days commuted leave w.e.f. 15.8.2007 to 28.8.2007 in favour of Shri. Avinash Chander, Civil Judge (Jr.Division)-cum-JMIC (2), Kangra.

Certified that Shri Avinash Chander has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Avinash Chander would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr.Division)-cum-JMIC (2), Kangra, but for his proceeding on leave for the above period.

———

Shimla, the 13th September, 2007

No.HHC/GAZ/14-223/96.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 27 days earned leave w.e.f. 22.10.2007 to 17.11.2007 with permission to prefix second Saturday, Sunday and Dussehra holidays with effect from 13.10.2007 to 21.10.2007 and to suffix Sunday falling on 18.11.2007 in favour of Shri D.R.Thakur, Civil Judge (Sr. Divn.)-Cum- Addl, CJM, Sarkaghat.

Certified that Shri D.R.Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri D.R.Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Divn.)-Cum- Addl, CJM, Sarkaghat but for his proceeding on leave for the above period.

————

Shimla, the 12th September, 2007

No.HHC/Admn.3(18)/73-I-.—13 days earned leave on and with effect from 17.9.2007 to 29.9.2007 with permission to affix Sundays falling on 16.9.2007 & 30.9.2007 is hereby sanctioned in favour of Sh. Bhagat Ram Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Sh. Bhagat Ram Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Bhagat Ram Sharma, would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

Shimla, the 12th September 2007

No.HHC/Admn.I(3)/73-I-.—25 days earned leave on and with effect from 17.9.2007 to11.10.2007 with permission to prefix Sunday falling on 16.9.2007 is hereby sanctioned in favour of Sh. K.S.Himalvi, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Sh. K.S.Himalvi is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. K.S. Himalvi would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

———————

Shimla, the14 the September, 2007

No.HHC/Admn.3(140)/79-I.— 53 days earned leave on and with effect from 17.7.2007 to 7.9.2007 with permission to suffix holidays falling on 8th and 9th September, 2007 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Sh. Bheem Dutt Sharma, Court Secretary of this Registry.

Certified that Sh. Bheem Dutt Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Bheem Dutt Sharma would have continued to hold the same post of Court Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

———————

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th September, 2007

No. HHC/Rules/14-61/90-.—Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to make the following amendment in " The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct and Appeal), Rules, 2003".

Short title.—1. These Rules shall be called "The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) (Sixth Amendment) Rules, 2007".

Commencement.— 2. They shall come into force with immediate effect.

Amendment .— 3. Sr. Nos . 4 & 5, Class-1 (Gazetted) Column. No. 6 in both categories of Schedule `A` of "The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003", shall be substituted as under:-

Sr. No.	Name of the post	No. of Post	Mode of appointment	Qualification	Experience	Scale of pay.
4.	Assistant Registrars.	7	By selection from amongst Chief Librarian, Marriage Counsellor and Superintendents on the basis of merit-cum-length of service in the existing scale.	- Graduation.	Three years.	Rs.10025-275-10,300-340-12,000-375-13,500-400-15,100 + S.A. Rs.800/-
5.	Court Secretaries	8	---------- do----------	---------do-----	--------do-----	---------do----- +S.A. Rs.1000/-.

BY ORDER OF HON'BLE THE
CHIEF JUSTICE.
REGISTAR (RULES)

———

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002

No. FFE-A(B)12-1/07.—Consequent upon selection of Sh. Manoj Bhaik, IFS (HP :89) for appointment on deputation for a period of four years to the post of Deputy Conservator of Forests at Himalayan Forest Research Institute Shimla, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to relieve him from the date he relinquishes the charge of Divisional Forest Officer, Una, Distt. Una, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

———

[Authoritative English Text of this Department Notification No.Agr.A(3)-6/2005 Dated 17-9-2007 required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th August, 2007

No. Agr.A(3)-6/2005.—In exercise of the Powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make Recruitment and Promotion Rules for the post of Agriculture Extension Officer Class-III(Non Gazetted) in the Department of Agriculture Himachal Pradesh, as per Annexure-

"A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—**(**i) These rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department, Agriculture Extension Officer, Class-III(Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2007.

(ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Saving.*— (i) The Himachal Pradesh Agriculture Department Agriculture Extension Officer Class-III(Non Gazetted) Recruitment and Promotion 1995 Notified vide this Department notification No.Agr.B(6)/76 dated 15.9.95 and amended subsequently vide No. Agr.B(14)-10/94 dated 29.12.98 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the repealed Rules so repealed under sub rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these Rules.

By order,
Sd/—
Principal Secretary.

———

Annexure
"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF AGRICULTURE EXTENSION OFFICER (NON GAZETTED) CLASS- III IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE HIMACHAL PRADESH

1	**Name Of the post**	:	Agriculture Extension Officer
2	**Number of posts**	:	978(Nine hundred seventy eight)
3	**Classification:**	:	Class-III(Non Gazetted)
4	**Scale of pay**	:	4020-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800—200-
5	**Whether selection post or selection post non**	:	Non – Selection
6	**Age for direct recruitment**	:	Between 18 & 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relax-able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational qualifications required for direct recruitment:

Essential Qualifications.—10+2 with science or its equivalent from the recognised Board of School Education or University followed by one year vocational training in Agriculture from GSTC/VAS.

OR

Should have passed B.Sc.(Agr.) degree from recognised University or its equivalent.

DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).—

I) AGE…….	**Not applicable**
II) E.Q.	Yes. As prescribed in Colm. No.11

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—

(i) 90% by direct recruitment as under:-

(a) 45% by direct recruitment or on contract basis.

(b) 45% by Deptt.batch-wise on regular basis or on contract basis.

ii) 10% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.

11. Incase of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.—10% by promotion from amongst the Laboratory Assistants, who possess the educational qualification of Matric and also possess 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which by promotion from amongst the Class-IV who possess the educational qualification of Matric with science and they will be/have been imparted one year VAS Training by the Deptt. and also possess 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade.

For the purpose of promotion from amongst Class-IV, a combined seniority list of eligible official without disturbing there unit-wise inter-se-seniority shall be prepared .

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of qualifying service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service(including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies) in Himachal State Non-Technical Services)- Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal PradeshTechnical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee the exists, what is its composition?

As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voca test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment:—

(1) CONCEPT:—a. Under this policy, the Agriculture Extension Officer, in Department of Agriculture will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

b. POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/HP SSSB:—The Director of Agriculture H.P. after obtaining the approval of the Govt. to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

c. The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

d. Contractual appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Govt. job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Agriculture Extension Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.6030/- PM(Which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 120/-as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Agriculture, HP will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—(a) For the post(s) to be filled up by batch-wise basis at the Departmental level:

The Selection for appointment to the post in the case of Contractual Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Selection Committee Constituted under these rules.

(b) For the posts to be filled up through the concerned Recruiting Agency:—The Selection for appointment to the post in the case of Contractual Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by the written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e. Subordinate Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— **(a)** For the posts to be filled up by batch-wise basis at the Departmental level:

"As may be constituted by the competent authority from time to time.

(b) For the posts to be filled up through the concerned Recruiting Agency:—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/ has to sign an agreement as per annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6030/- P.M. (Which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). The contractual appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 120 per annum for second & third years respectively and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The services of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the Contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual officer. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the service without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. Contract appointee shall not be entitled for any contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contractual appointee will not be permitted from one office to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt../Registered Medical officer Practitioner. In case of Women candidate, pregnancy beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate

will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract Appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular official at the minimum of pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Agriculture Extension. Officer, in the Department . at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN AGRICULTURE EXTENSION OFFICER AND THE GOVT. OF H.P. THROUGH THE DIRECTOR OF AGRUCLTURE, H.P.

This agreement is made on this______________________________day of ________________________in the year_______________________________________Between Miss/Smt/.Sh.____________________________________

S/o/D/o—_________ ________________ R/O——————————————————————————
____).

Contract appointee (here-in-after called the first party), and the Governor of Himachal Pradesh through the Director of Agriculture, H.P. (here-in-after the Second party). Whereas, the second party has engaged the aforesaid first party and the first party has agreed to serve as a Agriculture Extension Officer on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the first party shall remain in the service of the second party as a Agriculture Extension Officer for a period of one year commencing on the day of and ending on the day of . It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the first party with second party shall ipso facto stand terminated on the last working days i.e. on And information notice shall be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _________ per month.

3. The service of First Party will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Agriculture Extension Officer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Agriculture Extension Officer. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Agriculture Extension Officer will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

10. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____

_____

_____

(Name & Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2._____

_____

_____

(Name & Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1._____

_____

_____

(Name & Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2._____

_____

_____

(Name & Full Address)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 अगस्त, 2007

संख्याःएच.एफ.डब्ल्यू– बी(ए)2–2 / 2001–IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा –31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हे जनसाधारण की जानकारी के लिए, एतद् द्वारा, राज्यपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रारूप नियमों द्वारा सम्भाब्य प्रभावित कोई व्यक्ति, यदि इन नियमों के बारे में कोई आक्षेय या सझाव देना चाहे तो वह उसे इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीक से 30 दिन के भीतर सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा।

उपयुक्त विनिदिण्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेय या सुझााव यदि कोई हो, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थातः–

''प्रारूप नियम''

भाग–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम, 2007 है।

2. **परिभाषाएंः** –(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ विरूद्व न हो, ...

(क) ''अधिनियम से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) अभिप्रेत है।

(ख) ''परिषिष्ट'' से इन नियमों से संलग्न परिषिष्ट अभिप्रेत है।

(ग) ''शिकायर्तकर्ता (''परिवादी'') से कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन शिकायत परिवाद करता है, अभिप्रेत है।

(घ) परिवाद शिकायत से धारा 7 के अधीन 7 के अधीन चिकित्सा परिवादी द्वारा रजिस्ट्रार या अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित कोई अभिकथन अभिप्रेत है।

(ङ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है।

(च) व्यक्ति के अंतर्गत कोई कम्पनी या निगमित निकाय या संगम या व्यष्टियों का निकायः चाहे निगमित हो या नहीं कृत्रिम विद्यिक व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(छ) 'विहित फीस' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (फीस) नियम्, 2007 के अधीन उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित फीस अभिप्रेत है।

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है, और

(झ) ''राज्य सरकार या सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके है।

भाग–2

परिषद का मुख्यालय, निगम मुद्रा, (कारपोरेट सील) सदस्यों की नियुक्ति और कारबार संचालन

3. **मुख्यालय.**–परिषद् का कार्यालय शिमला के इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा कि सरकार नियत करे, स्थित होगा।

4 **निगम मुद्रा.**–(1) परिषद् की सामान्य मुद्रा को दो भिन्न–भिन्न तालों वाले डिब्बे में रखी जाएगी। और जिसके एक ताले की चाबी रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रहेगी।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, जो कि इन नियमों के अधीन जारी किया गया है, और ऐसे अन्य दस्तावेजों जिन्हें परिषद्, या जब परिषद् आसीन न हो तो कार्यकारी समिति निर्दिष्ट करे। (को मुद्राकित किया जाएगा) परन्तु उक्त समिति द्वारा, इसका उपयोग ऐसे कार्यों तक ही सीमित रहेगा जैसा कि परिषद् द्वारा, इसको प्रत्यायोजित की गई शक्तियों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक है।

5. **सदस्यों का रजिस्टर.**–प्ररूप–1 में एक वही पुस्तक रखी जाएगी, जिसमें परिषद् के सदस्यों के नाम, निर्वाचक मण्डल जिसको वे प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति का तारीख, कार्यकाल जिसके लिए वह निर्वाचित / नांमाकित किया गया है और प्रत्येक सदस्य की तारीख मृत्यू या सेवानिवृति की तारीख अन्तर्दिष्ट होगी। और ऐसी वही का रख रखाव नियमित रूप से किया जाएगा ताकि उस अवधि को दर्षित किया जाए जिसमें प्रत्येक निकाय जिसे नियुक्ति की शक्ति हो, नई नियुक्ति करना हेतू अग्रसर हो सके तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की बावत वैसी ही विषिष्टियां को रखा जाएगा।

6. **बैठके करना.**–(1) परिषद् एक कलैण्डर वर्ष में, ऐसी तारीख, समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, कम से कम दो बार बैठक करेगी परन्तु यह है कि अध्यक्ष

(क) परिषद् के ध्यान हेतू अपेक्षित किसी आवश्यक कारबार को निपटाने के लिए किसी भी समय 10 दिन पूर्ण का नोटिस देते हुए विशेष बैठक बुला सकेगा; और

(ख) बैठक के प्रयोजन और अधिनियम के उपबन्धो के अधीन परिषद् द्वारा किए गए जाने वाले कारोबार का विवरण देते हुए यदि वह कम से कम 1 / 3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में नोटिस प्राप्त करता है तो 15 दिन का नोटिस देकर विशेष बैठक बुलाएगा।

(2) यदि परिषद् संकल्प द्वारा कोई अन्य कारबार संव्यवहृत करने हेतू सहमत न हो तो अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक में केवल कारबार वही कारबार संव्यहृत किए जाएगें । जिसके लिए बैठक बुलाई गई है।

7. **बैठक बैठक बलाने के लिए नोटिसः**–(1) समस्त सदस्यों को रजिस्ट्रार द्वारा साधारण बैठक के लिए 30 पूर्ण दिन का नोटिस और विशेष बैठक के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। प्रत्येक नोटिस की बैठक की तारीख, समय, स्थान और कार्य सूची विनिर्दिष्ट करेगा तथा इसे परिषद के कार्यालय को भी डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) कोई सदस्य, जो किसी कारबार को संव्यवहार हेतू सम्मिलित करने के लिए जो कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए जो कार्यसूची में सम्मिलित न हो यदि कोई प्रस्ताव लाना चाहता हो तो बैठक के लिए नियत की गई तारीख से पूर्व 20 पूर्ण दिन से अन्यून का नोटिस रजिस्ट्रार को देगा।

(3) रजिस्ट्रार विशेष बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम 10 पूर्ण दिन से उन्मून उक्त बैठक में संव्यहृत किए जाने वाले कारबार को दर्शाते हुए बैठक को नोटिस के साथ पूर्ण कार्यसूची कागज पत्र एजेण्डा पेपर जारी करेगा।

(4) कोई सदस्य जो कार्यसूची में सम्मिलित किसी पद के संशोधन हेतू प्रस्ताव लाना चाहता है तो बैठक के लिए नियत तारीख से 3 पूर्ण दिन से अन्यून पूर्व रजिस्ट्रार को नोटिस देगा।

(5) रजिस्ट्रार, यदि समय समस्त संशोधन जिसकी बावत उप–नियम (5) के अधीन नोटिस दिया गया है, की सूची प्रत्येक सदस्य के उपयोग हेतू उपलब्ध करवाएगा। परन्तु अध्यक्ष, यदि परिषद् सहमत हो, इस तथ्य के होते हुए भी कि नोटिस बहुत देर से प्राप्त किया गया था। नोटिस को बैठक में चर्चा हेतू अनुज्ञात कर सकता है।

(6) अध्यक्ष और रजिस्ट्रार चर्चा करेंगे और निश्चय करेंगे कि ऐसे नोटिस / प्रस्ताव को कार्यसूची में सम्मिलित किया जाना है या नहीं तथा जहां ऐसे नोटिस / प्रस्ताव को अनुज्ञात किया गया हो, वहां नोटिस / प्रस्ताव भेजने वाले सदस्य को ऐसा करने के लिए कारण संसूचित किए जाएंगे।

8. **प्रस्ताव की अस्वीकार्यताः**–(1) कोई प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

(क) यदि वह विषय जिससे यह सम्बन्धित है परिषद् के कृत्यों की परिधि के भीतर नहीं है।

(ख) यदि उसी प्रश्न को, जिसे उस बैठक की तारीख से एक वर्ष के भीतर जिसमें इसे प्रस्तावित करने हेतू रूपरेखा तैयार की गई है परिषद् की इजाजत से प्रस्ताव या संशोधन के रूप में प्रस्तावित किया गया है या वापिस लिया गया है, सारतः नहीं उठाया गया है। परन्तु ऐसा प्रस्ताव इस प्रयोजन हेतू आयोजित परिषद् की विशेष बैठक में परिषद के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की अध्यपेक्षा पर स्वीकृत ग्रहण किया जा सकता हैः परन्तु यह और कि इन नियमों की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करते हुए, निर्दिष्ट किए गए किसी मामले पर आगामी चर्चा निषिद्व नहीं करेगी।

(ग) जब तक इसे स्पष्टतः आरै प्रमिततः व्यक्त नहीं किया गया हो और सारतः एक निश्चित विवाद्यक उठाता हो, और

(घ) यदि इसमें अनुमान व्यंगोक्ति अभिव्यंजना या अपमानजनक कथन अतंर्विष्ट है।

(2) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को जो उसकी राय में उप नियम (1) के अधीन अस्वीकार्य है, अननुज्ञात कर सकेगा। परन्तु यदि प्रस्ताव संशोधन द्वारा स्वीकार्य बन सकता है तो, अध्यक्ष इसे संशोधित रूप में स्वीकार कर सकेगा।

(3) जब अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अननुज्ञात या संशोधित करता है तो रजिस्ट्रार, प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्य को, यथास्थिति, अस्वीकृति के आदेश या उस स्वरूप के बारे में, जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, सूचित करेगा।

9. **बैठक में हाजिरीः**–प्रत्येक बैठक में, एक हाजिरी रजिस्टर बैठक कक्ष में रखा जाएगा और प्रत्येक उपस्थित सदस्य रजिस्टार में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

10. अध्यक्ष और बैठक की गणपूर्तिः—(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या यदि वह अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष द्वारा या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो सदस्यों द्वारा उन में से निर्वाचित पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) अध्यक्ष को निर्दिष्ट समस्त निर्देश तत्समय बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट करते हुए पढ़े जाएंगे।

(3) अध्यक्ष सहित बैठक में उपस्थित परिषद् के आठ सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

परन्तु गणपूर्ति न होने के कारण बैठक स्थगित बैठक की दशा में, उसी विधायक पर आयोजित अगली बैठक में कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

11. गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगन.—यदि बैठक के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं हो जाती और यदि बैठक के लिए नियत समय से 30 मिनट के अवसान पर या किसी बैठक के दौरान गणपूर्ति नहीं होती तो बैठक भविष्य में ऐसे समय और तारीख के लिए स्थगित जैसी अध्यक्ष नियत करें ।

12. मतदान द्वारा विनिश्चय.—(1) परिषद् द्वारा बैठक में चर्चा किए जाने और विनिश्चित किए जाने हेतू प्रत्येक मामला किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और अध्यक्ष इसे मतदान हेतू परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

(2) मतदान, हाथ खड़े करके या द्वारा या मतपत्र द्वारा, जैसा अध्यक्ष निर्दिष्ट करे, किया जाएगा।

परन्तु यदि तीन या अधिक सदस्य ऐसा चाहे आरै इसकी मांग करें तो मतदान मत पत्र द्वारा किया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि मतदान हाथ खड़े करके किया गया है तो तभी किया जाएगा यदि सदस्य इसकी मांग करता है।

(3) विभाजन द्वारा मतदान की पद्वति अवधारित करेगा।

(4) मतदान का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा और वह किसी सदस्य द्वारा चुनौती दिए जाने के लिए दायी नहीं होगा।

(5) मतों की समानता की दशा में, अध्यक्ष का मत दूसरा या निर्णायक होगा।

(6) बैठक के दौरान, अध्यक्ष, किसी भी समय, चर्चा में सदस्यों की सहायता हेतू किसी विषय बिन्दु के स्पष्टीकरण के लिए कोई आक्षेय कर सकेगा या सुझाव या सूचना दे सकेगा।

13. परिषद के कार्यवृत.—(1) परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियों रजिस्ट्रार द्वारा फाईल पर रंकित / मुद्रित कार्यवृत के रूप में परिरक्षित रखी जाएगी जिन्हें अध्यक्ष द्वारा पुष्टि के पश्चात् अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत की प्रतियां रजिस्ट्रार द्वारा बैठक से 15 दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएंगी और उसके द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक प्रति, बैठक से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी।

(3) बैठक के कार्यवृतों में ऐसे प्रस्ताव और संशोधन अन्तर्विष्ट होंगे जो प्रस्तावक (प्रस्थापक) और अनुमोदक समर्थक के नामों सहित प्रस्तावित और (अंगीकृत) (स्वीकृत) या अस्वीकृत किए गए हैं परन्तु बैठक में किसी सदस्य द्वारा की गई टीका टिप्पणी को अभिलिखित किए बिना होंगे ।

(4) यदि कार्यवृत की शुद्वता की बावत कोई आक्षेप रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवृत के प्रेषण से 30 दिन के भीतर प्राप्त हुआ है, तो ऐसे आक्षेप यथा अभिलिखित और सत्यापित कार्यवृत सहित पुष्टि कारण हेतू परिषद की आगामी बैठक के समक्ष रखे जाएंगे। इस बैठक में बैठक के कार्यवृतों को शुद्वकृत करने के सिवाय कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

परन्तु यदि परिषद द्वारा बैठक मे ं लिए गए विनिष्चय की बावत रजिस्ट्रार द्वारा किसी विशिष्ट बैठक से सम्बद्व कार्यवृत के प्रेषण की तारीख से 30 दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा, विनिश्चय, यदि समीचीन हो, आगामी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि से पूर्व प्रभावी किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि अध्यक्ष यह निदिष्ट कर सकेगा कि 30 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व परिषद् के विनिष्चय पर कार्रवाई की जाए।

(5) परिषद् के कार्यवृत उनकी पुष्टि के पश्चात् यथास्वरूप शीघ्रता से शीटों कागजों में तैयार किए जाएंगे और उन्हें जिल्द में अन्तः स्थापना हेतू क्रमानुसार पृष्ठांकित किया जाएगा, जिसे स्थाई रूप से परिरक्षित किया जाएगा।

(6) परिषद् के सदस्यों के उपयोग हेतू परिषद् की बैठक में टिका टिप्पणियों और चर्चाओं की रिपोर्ट व सही (शुद्ध) रीति में रखी जाएगी। बैठकों की विस्तृत कार्यवाहियां 'गोपनीय' समझी जाएगी और कार्यालय में रखी जाएगी तथा सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली होगी। कार्यवाहियों की एक प्रति पूर्ण या आंशिक किसी भी सदस्य को जो इसके लिए आवेदन करता हो, प्रदत की जाएगी। ऐसी प्रति पर 'गोपनीय' चिन्हित किया जाएगा तथा अध्यक्ष द्वारा नियत राशि, जो (नकल) प्रतिलिपि की लागत से अनधिक होगी, के संदाय पर प्रदत की जाएगी। बंद कमरे में हुई कार्यवाही की कोई प्रति पद्त नहीं की जाएगी, परन्तु ऐसी कार्यवाहियों का निरीक्षण सदस्यों द्वारा किया जा सकेगा।

भाग–3

14. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.–अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो वह उन उदेश्यों, जिसके लिए परिषद् हुई है, को अग्रसर करने के लिए ऐसे कार्य जैसा वह उचित समझे, करेगा।

15. उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य.–यदि अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है या किसी कारणवश अपने पद की शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो उपाध्यक्ष, उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

भाग–4

कार्यकारी समिति

16. कार्यकारी समिति का गठन.–कार्यकारी समिति अध्यक्ष और पदेन सदस्य और परिषद् द्वारा निर्वाचित इसकी प्रथम बैठक में अपने चार सदस्यों से निम्न प्रकार से गठित की जाएगी।

उपधारा

(क) अधिनियम की धारा 3 की (3) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य।

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्य ।

(ग) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाने वाला एक सदस्यः और

(घ) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन पदेन सदस्यों मे से निर्वाचित किया जाने वाला सदस्य।

(2) परिषद् का अध्यक्ष, कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) रजिस्ट्रार कार्यकारी समिति का सचिव होगा।

17. कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल और आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति.—(1) कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल, परिषद् में उनकी सदस्यता से सहविस्तारी (को हर्मिन्स) होगा।

(2) अध्यक्ष या समिति के सदस्य के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति को निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

परन्तु यह कि किसी निर्वाचित सदस्य के कार्यालय में ऐसी कोई रिक्ति जो समस्त सदस्यों के पद की अवधि के अवसान की तारीख से छः मास के भीतर हो जाती है, तो वह भरी नहीं जाएगी।

18. गणपूर्ति.——अध्यक्ष सहित कार्यकारी समिति में तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

19. कृत्य— (1) कार्यकारी समिति को, परिषद् द्वारा अधिकथित सिद्वान्तों और साधारण नीति के अनुसार अधिनियम आरै नियमों की रूपरेखा के भीतर, परिषद् के कृत्यों का निर्वहन करने की शक्तियां होगी।

(2) विशिष्टतया और पूवगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यकारी समिति, निम्नलिखित, शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग करेगी, अर्थात—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा रजिस्टर, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा, के प्रकाशन का अधीक्षण करना।

(ख) कारबार सदस्यों द्वारा अधिसूचित प्रस्तावों और संशोधनों से भिन्न का मसौदा तैयार करना और उस पर सिफारशें प्रस्तुत करनाः—

(ग) चिकित्सा व्यवसायियों से ऐसी सूचना प्राप्त करना जो कि अधिनियम की अपेक्षाओं को सुकर बनाने में आवश्यक हो,

(घ) किसी भी आपेक्ष जिस पर परिषद् का ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित हो पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना।

(ङ) परिषद् को प्रस्तुत और कार्यकारी समिति को निर्दिष्ट याचिकाओं का परीक्षण और उन पर रिपोर्ट देना।

(च) अधिनियम की धारा 14 की उप—धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार को अवकाश मंजूर करना।

(छ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित अनुशासन समिति द्वारा की गई रिपोर्टों / सिफारिशों पर विचार करना।

(ज) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के विरूद्व वृतिक आचरण के भंग के लिए शिकायतों पर विचार करना और उस पर अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करना।

(झ) रजिस्ट्रीकरण हेतू समस्त आवेदनों पर परिषद को रिपोर्ट करना जो हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् की अनुसूची के अन्तर्गत आते नहीं है।

20. कार्यकारी समिति की बैठके.–(1) कार्यकारी समिति ऐसी तारीख, समय और स्थान पर बैठकें करेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए तथापि यदि अध्यक्ष उचित समझे तो कम से कम तीन सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा पर कार्यकारी समिति की असाधारण बैठक बुला सकेगा।

(2) अध्यक्ष और रजिस्ट्रार बैठक की कार्यसूची (एजेण्डा) पर विचार विमर्श और विनिश्चित करेंगे ।

21. बैठक की सूचना.–रजिस्ट्रार कार्यकारी समिति के समस्त सदस्यों को साधारण बैठक की दशा में सात पूर्व दिन का और असाधारण बैठक की दशा में तीन पूर्ण दिन का नोटिस देगा। जिसमें बैठक का स्थान तारीख और समय विर्निष्ट होगा तथा उसमें किए जाने वाले कारबार के कथन सहित यह भी अलिखित होगा कि बैठक साधारण बैठक है या असाधारण बैठक है।

22. बैठक में उपस्थिति.–प्रत्येक बैठक में एक उपस्थिति रजिस्टर बैठक कक्ष में रखी जाएगी और प्रत्येक उपस्थित सदस्य रजिस्टर में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

23. बैठक में कारबार का संव्यवहारित किया जाना.––(1) कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक भी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और यदि वह अनपु स्थित होता है तो सदस्यों में से चुना गया पीठासीन अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) साधारण और असाधारण बैठक में, ऐसी बैठक बुलाई जाने के लिए दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट से अन्यथा, कोई कारबार संव्यवहारित नहीं किया जाएगा।

परन्तु पीठासीन अधिकारी किसी कारबार को जो कि अति आवश्यक प्रकृति का हो और जो बैठक की सूचना में दर्ज न था पर विचार–विमर्ष किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) कार्यर्कारी समिति की बैठक में सामान प्रश्नों पर, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में पीठासीन अधिकारी का दूसरा और निर्णायक मत होगा।

24. परिचालन द्वारा विनिश्चय.––(1) जब मामला इतना हो कि इसके विनिश्चय की प्रतिक्षा कार्यकारी समिति की आगामी बैठक तक न की जा सकती हो, तो इसका विनिश्चय कार्यकारी समिति के समान्त सदस्यों को परिचालन द्वारा किया जाएगा।

(2) जब मामला हो कि कार्यकारी समिति के सदस्यों को परिचालन द्वारा निर्देश भी इसके उदेश्य को विफल कर रहा हो, तब अध्यक्ष परिषद् की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

परन्तु ऐसे मामलों में, अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाई को कार्यकारी समिति द्वारा अनुसमर्थित किया जाना अपेक्षित होगा।

25. कार्यकारी समिति के सदस्य से भिन्न किसी सदस्य का भाग लेना.–अध्यक्ष, परिषद् के किसी सदस्य को जो कार्यकारी समिति का सदस्य न हो, कार्यसूची (एजण्डा) की किसी विषिष्ट मद के लिए, कार्यकारी समिति को किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित कर सकेगा। ऐसा आमन्त्रित कोई सदस्य उस पद से सम्बन्धित विचार विमर्श चर्चा में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र होगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

26. बैठकों के कार्यवृत.—(1) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा प्रारूपित की जाएगी और आयोजित की गई बैठक की तारीख से 10 दिनों के भीतर अध्यक्ष को उसके प्रतिहस्ताक्षरों हेतू प्रस्तुत की जाएगी जिसके पश्चात् इन को आयोजित की गई बैठक की तारीख से 20 दिन के भीतर, कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा। यदि रजिस्ट्रार द्वारा बैठक के कार्यवृत के प्रेषण की तारीख से 15 दिन के भीतर सदस्यों से कोई संशोधन (संषद्वि) / सुझाव प्राप्त न हो तो उसमें अभिलिखित विनिश्चय प्रभावी होगा।

(2) आगामी बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा पुष्टिकरण करने के पश्चात कार्यवृत परिषद् के सदस्यों को भेजे जाएंगे।

परन्तु अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे तो उपरोक्त वर्णित 15 दिन की उक्त अवधि के अवसान से पूर्व कार्यकारी समिति के विनिश्चय पर कार्यवाही किए जाने का निदेश दे सकेगा।

भाग—5

27. परिषद् और कार्यर्कारी समिति के सदस्यों को अनुज्ञेय यात्रा और अन्य भत्ते.——(1) परिषद् या कार्यकारी समिति की बैठकों में हाजिर होने के लिए शासकीय सदस्यों को उन्हें लागू नियमों के उपबन्धों के अनुसार, यात्रा / भता / दैनिक भत्ता संदत किया जाएगा।

(2) परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को, राज्य सरकार के उच्चस्तर श्रेणी—1 उच्चतर अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय, यात्रा भता अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) परिषद् और कार्यकारी समिति के समान्त गैर सरकारी सदस्य परिषद् अथवा कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन केवल 500 रू. (पांच सौ रूपये) की फीस प्राप्त करने के हकदार होंगे जो इस नियम के उप—नियम् (2) के अधीन उनको यथा अनुज्ञेय यात्रा भता में अतिरिक्त, संदत की जाएगी।

भाग—6

जांचे

28. जांचों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—शिकायतों का रजिस्ट्रार को सम्बोधित किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी पर वृतिक संदर्भ (प्राफेशनल रिस्पेक्ट) में कुतिसत आचरण का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत (परिवाद रजिस्ट्रार को सम्बोधित की जाएगी जिसमें शिकायत (परिवाद) के आधारों का विवरण होगा ओर जिसके साथ मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में एक या अधिक घोषणाएं संलग्न होगी ।

29. घोषणा की विषय वस्तु.—(1) प्रत्येक घोषणा में घोषणकताओं के निवास स्थान का सही विवरण दिया जाएगा और जहां घोषणा में कथित तथ्य घोषणाकर्ता के विश्वास के कारणों को और इसकी सत्यता को पूर्ण से अभिव्यक्त किया जाएगा।

(2) घोषणाएं—इस नियम के उल्लंघन में की गई सादय के रूप में स्वीकृत नहीं की जाएगी।

30. मानसिक अथवा शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन.—(1) यदि किसी समय शपथ पत्र द्वारा सामने लाया जाता है कि अधिनियम के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी सीमा तक मानसिक और शारीरिक तौर पर निशक्त (निर्योग्य) हो गया है कि ऐसे व्यक्ति का लगातर व्यवसाय में बने रहना लोक कल्याण के विरूद्व है तो कार्यकारी समिति प्रस्तुत किये गए तथ्यों की जांच कर सकेगी

और रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को निर्दिष्ट अवधि के लिए चिकित्सा में अपनी वृतियां व्यवसाय करने पर निलम्बन का आदेश दे सकेगी।

(2) ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण जो चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृति चाहता है 3 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर रद किया जाएगा।

परन्तु वह 3 वर्ष की अवधि के पष्चात् पुनः रजिस्ट्रीकृत हो सकेगा / सकेगी यदि परिषद् द्वारा उसे व्यवसाय के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है।

31. दूषित आचरण वाले व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना या जब रजिस्ट्रीकरण पहले से ही अस्वीकृत किया हो.—जब भी रजिस्ट्रार को यह सूचना प्राप्त हो कि चिकित्सा व्यवसायी, जिसने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या जिस का नाम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या जिस का नाम रजिस्ट्रीकरण हेतू पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है ऐसे आचरण का दोषी रहा हो जिससे प्रथम दृश्यता वृत्रिक संदर्भ में (कुत्सित) आचरण गठित होता हो, तो रजिस्ट्रार ऐसी सूचना का संक्षिप्त सार बनाकर अध्यक्ष को सूचित करेगा ।

32. संज्ञेय अपराध के लिए दोषसिद्वि.—जब भी परिषद् के कार्यालय में यह सूचना प्राप्त हो कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अपने वृत्रिक आचरण के सम्बन्ध में संज्ञेय अपराध से आरोपित है या किसी न्यायिक या अन्य सक्षम प्राधिकारी के अधीन परिनिंदित है या ऐसे आचरण का दोषी है जिससे प्रथम दृष्टया वृतिक सन्दर्भ में कुत्सित आचरण गठित होता हो, तो रजिस्ट्रार ऐसी सूचना को संक्षिप्त सार बनायेगा और उसे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

33. शास्ति / रजिस्टर से हटाया जाना.—अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति जिसे कार्यकारी समिति द्वारा जांच के पश्चात जो ऐसे व्यक्ति की (वृति) या आजीविका के दृष्टिगत अनुचित हो, तो वह निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक के लिए दायी होगा।

(क) चेतावनी या धिग्दंड या धिग्दंड और चेतावनीः

(ख) औषधि की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली में व्यवसाय करने या उससे सम्बन्धित कार्य करने पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबनः

(ग) रजिस्टर से उसको नाम का हटा दिया जाना।

34 संक्षिप्त सार / शिकायत पर कार्रवाई.——(1) जहां कोई शिकायत दाखिल की गई है तो शिकायत का संक्षिप्त सार और मामले से सम्बन्धित अन्य समस्त दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे, अध्यक्ष यदि उचित समझे तो रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से रजिस्ट्रीकृत पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जैसा वह देना चाहे, मांग ने का अनदेष दे सकेगा।

(2) आरोपित व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्रार को किसी स्पष्टीकरण सहित अग्रषित किए गए दस्तावेजों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उस पर विचार करेगी और जिसे अतिरिक्त जांच करने और सादय लेने तथा यदि आवश्यक हो तो विद्यिक सलाह (परामर्श) लेने की शक्ति होगी।

(3) यदि कार्यकारी समिति की यह राय हो कि प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो मामले में आगे कार्यवाही नहीं होगी और रजिस्ट्रार कार्यकारी समिति के संकल्प के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा ।

(4) यदि कार्यकारी समिति की यह राय हो कि परिस्थितियां आरोपित व्यवसायी को चेतावनी पत्र जारी करना इ ित करती है तो यह अपना निष्कर्ष परिषद को भेजेगी और यदि दोनों में से किसी में

कार्यकारी समिति की यह राय है कि मामला ऐसा है जिसमें की जांच की जानी चाहिए तो अध्यक्ष रजिस्ट्रार को कार्यकारी समिति द्वारा जांच संस्थित करने मामले की सुनवाई करन` और अवधारित करने के लिए पग उठाने हेतू निदेष दे सकेगा।

(5) अपचारी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विरूद्व शिकायत पर विनिश्चय छः मास की समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

35. कार्यकारी समिति द्वारा जांच की सूचना (नोटिस).–(1) अधिनियम की धारा 22 की उप–धारा (1) के अधीन संचालित की जाने वाली कोई जांच, कार्यकारी समिति के सचिव द्वारा, कार्यकारी समिति (की ओर से) लिखित में, आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को संबोधित करके (नोटिस) जारी करते हुए आरम्भ की जाएगी।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन जारी (नोटिस) में आरोप की प्रकृति और विशिष्टियों को विर्निष्ट होगी के बारे में, जिस दिन कार्यकारी समिति उसके मामले में कार्रवाई करने का आशय रखती है सूचना देगा आरै उसमें उससे, उक्त दिन को, कार्यकारी समिति के समक्ष हाजिर होने और लिखित आरोप का उतर देने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) सूचना (नोटिस) प्ररूप–11 में ऐसी फेरफार के साथ जैसी परिस्थितियां अपेक्षा कर दी जाएगी और जांच की तारीख से तीन सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।

36. आरापित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों को दस्तावेजों को प्रदाय.––(1) प्रत्यके मामला जिसमें कार्यकारी समिति यह संकल्प करती है कि जांच संस्थित की जानी अपेक्षित है और तदनुसार जांच हेतू सूचना (नोटिस) जारी की गई है, परिवादी, यदि कोई हो, और अरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, यथास्थिति अपनी प्रतिरक्षा (प्रतिवाद) या प्रत्युतर के प्रयोजन के लिए प्रार्थना पर कार्यकारी समिति को अन्य पक्षकार के लिए / की ओर से दिए या भेजे गए। किसी घोषणा की एक प्रति, स्पष्टीकरण या उतर या अन्य दस्तावजे जिसे अन्य ऐसा पक्षकार उचित सबूत पर सुनवाई में जांच के नोटिस में विनिर्दिष्ट आरोप के समर्थन में या उतर में सुनवाई साक्ष्य के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा, रजिस्ट्रार द्वारा द्वारा प्रदत किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी सूचना (नोटिस) को जारी करने की तारीख और आरोप की सुनवाई हेतू नियत दिन के बीच, अग्रेषित किया गया कोई (प्रत्युतर) साक्ष्य या कथन या किया गया आवेदन, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति में जिसे वह स्वयं या विद्यिक सलाह के अधीन उचित समझे, निपटाया जाएगा।

(3) समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज जिन्हें मामले की बावत कार्यकारी समिति के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखा जाना है, रंकित किए जाएंगे और उनकी एक प्रति प्रत्येक पत्रकार को मामले की सुनवाई से पूर्व दी जाएगी।

37. शिकायतकर्ता (परिवादी) के हाजिर होने की दशा में प्रक्रिया.–(1) जहां शिकायतकर्ता (परिवादी) व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी से भिन्न, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होता है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को सम्बोधित जांच की सूचना (नोटिस) पढ़ेगा।

(ख) (परिवादी) को अपना मामला स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कथित करने और उसके समर्थन में प्रमाण पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शिकायतकर्ता (परिवादी) के सबूत की समाप्ति पर उसका मामला बन्द किया जाएगा।

(ग) तत्पश्चात् आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को अपना मामला स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कथित और उसके समर्थन में सबूत पेश करने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा। वह कार्यकारी समिति के समक्ष, अपने मामले की बावत, अपने सबूत की समाप्ति पर या उससे पहले केवल एक बार बोल सकेगा।

(घ) कार्यकारी समिति, आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के मामले की समाप्ति पर, यदि उक्त आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी ने साक्ष्य पेश किए हो तो साधारणतया मामले के उतर में परिवादी को सुनेगी, परन्तु किसी विशेष मामले में, जिसमें कार्यकारी समिति ऐसे और साक्ष्य पेश करना उचित समझती है के सिवाए कोई और साक्ष्य नहीं सुनेगी। कार्यकारी समिति की विशेष इजाजत के सिवाए, यदि आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी कोई साक्ष्य पेश नहीं करता है तो शिकायतकर्ता (उतर) में नहीं सुना जाएगा।

(ङ) जहां कार्यकारी समिति के समक्ष किसी पत्रकार द्वारा कोई साक्षी पेश किया जाता है तो पहले उसकी परीक्षा पेश करने वाले पक्षकार द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात् विपक्षी पत्रकार द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाएगी। जहां घोषणाकर्ता उपस्थित नहीं है या वह प्रतिपरीक्षा हेतू हाजिर होने से इंकार करता है, वहां कार्यकारिणी समिति कोई घोषणा, साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।

(च) अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के पदेन सभापति के रूप में और उसके माध्यम से कार्यकारी समिति के सदस्य भी किसी साक्षी या पत्रकार से प्रश्न कर सकेंगे ।

38. शिकायतकर्ता (परिवादी) के हाजिर न होने की दशा में प्रक्रिया.—जहां कोई शिकायतकर्ता (परिवादी) हाजिर नहीं होता है, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगीः—

(क) रजिस्ट्रार, कार्यकारी समिति के सचिव के रूप में कार्यकारी समिति के समक्ष आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को सम्बोधित जांच की सूचना (नोटिस) को पढ़ेगा और मामले के तथ्यों का कथन करेगा, तथा उक्त समिति के समक्ष ऐसे साक्ष्य पेश करेगा, जिसके द्वारा उसका समर्थन किया गया है।

(ख) तत्पश्चात् आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को अपना मामल का स्वयं या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से कथन करने और उसे समर्थन में सबूत पेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा वह कार्यकारी समिति के समक्ष अपने सबूत की समाप्ति पर या पहले केवल एक बार, बोल सकेगा।

39. विचार विमर्श सम्मिलित करना.——कार्यकारी समिति, मामले की सुनवाई की समाप्ति पर उस पर एकान्त में विचार–विमर्श करेगी और विचार–विमर्श की समाप्ति पर अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के पदेन सभापति के रूप में विचार विमर्श के परिणाम का सारांश तैयार करने के प्रयोजन से कार्यकारी समिति से जैसा कि मामले की परिस्थितियों को लागू हो, सभापति द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित संकल्पों पर मतदान करने की अपेक्षा करेगाः—

(1) आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जिसे उसके विरूद्व अभिकथित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा परिभाषित, संज्ञेय अपराध का सिद्वदोष ठहराया गया है, की दशा में : —

''यह कि ....., उसके विरूद्व जांच की सूचना (नोटिस) में यथा अभिकथित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा परिभाषित संज्ञये अपराध का सिद्वदोष साबित हुआ है।''

(2) वृत्रिक सन्दर्भ से कुत्सित आचरण के लिए आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की दशा में

(क) ''यह कि कार्यकारी समिति, अब..... के विरूद्व जांच के नोटिस में अभिकथित आरोपों का विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होती है और उन्हें साबित किया गया है या साबित नहीं किया गया है।''

यदि यह संकल्प नहीं लाया जाता है तो मामले की आगामी सुनवाई, जैसे कार्यकारी समिति निर्दिष्ट करे, कार्यकारी समिति की अगली या भविष्य में अन्य किसी बैठक तक स्थगित रहेगी, और उसकी सुनवाई भविष्य ऐसी अगली बैठक में स्थगित मामले के रूप में की जाएगी।

यदि उक्त प्रस्ताव लाया जाता है तो अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति से, सभापति द्वारा रखे जाने वाले निम्नलिखित संकल्प पर मतदान करने के लिए अपेक्षा की जाएगी।

(ख) ''यह कि जांच की सूचना (नोटिस) में ..... के विरूद्व समस्त अभिकथित तथा अभिकथित तथ्य या निम्नलिखित तथ्य (कार्यकारी समिति को समाधान पद रूप मे साबित किए गए है)

यदि यह संकल्प लाया जाता है तो कार्यकारी समिति या तो यह न्यायनिर्णय करने के लिए अग्रसर हो सकती है कि क्या अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को साबित हुए तथ्यों पर वृतिक कुत्सित आचरण का दोषी साबित किया गया है और रजिस्ट्रार को उसका नाम रजिस्टर से हटाने को निर्देष देगी या अपना निर्णय कर सकती है तथा मामले को अगली या भविष्य में किसी अन्य बैठक तक स्थगित कर सकती है।

(3) घोर अपराध (या उपापराध या अपराध) के सिद्वदोष या वृतिक संदर्भ में कुत्सित आचरण के आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की दशा में यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या कार्यकारी समिति का साबित दोषसिद्वि (या तथ्यों) का निर्णय मुल्तवी किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के पदेन सभापति के रूप में सभापति द्वारा रखे जाने वाले निम्नलिखित संकल्प पर मतदान करने के लिए कार्यकारी समिति की अपेक्षा की जाएगी।

(ग) ''यह कि कार्यकारी समिति अब, ... के विरूद्व साबित दोषसिद्वि (या तथ्यों) पर अपना निर्णय सुनाने के लिए अग्रसर होती है।''

यदि यह संकल्प नहीं लाया जाता है तो कायकारी समिति का निर्णय इसकी अगली या भविष्य में ऐसी किसी अन्य बैठक तक मुल्तवी होगा, जैसा यह निर्दिष्ट करेगी और मामले को ऐसी अगली या भविष्य में अन्य बैठक में ऐसे मामले के रूप में लिया जाएगा जिस पर निर्णय मुल्तवी किया गया है। यदि यह संकल्प लाया जाता है तो कार्यकारी समिति मामले पर तत्काल अपना निर्णय सुनाने के लिए अग्रसर होगी और अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के पदने सभापति के रूप में सभापति द्वारा रखे जाने वाले निम्नलिखित सकं ल्प पर मतदान करने के लिए इससे अपेक्षा की जाएगी :– दोषसिद्वि की दशा में:–

(घ) ''कि ..... के विरूद्व जांच की सूचना (नोटिस) में अभिकथित घोर अपराध (या उपापराध या अपराध) का सिद्वदोष साबित होने पर, रजिस्ट्रार को कार्यकारी समिति के सचिव के रूप में रजिस्टर से उसका नाम हटाने के लिए निर्देश दिया जाए।

वृतिक सन्दर्भ में (कुत्सित) आचरण से आरोखित व्यवसायी की दशा में : –

(ङ) '' यह कि कार्यकारी समिति, अब ..... को वृत्रिक सन्दर्भ में (कुतसित आचरण का दोषी न्यायनिर्णीत करती है और रजिस्ट्रार को, ... का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए निर्दिष्ट निर्देष देती है।''

यदि यथास्थिति संकल्प (घ) या (ङ) नहीं लाया जाता है, तो अध्यक्ष कार्यकारी समिति का निर्णय निम्नलिखित रूप में घोषित कर सकेगा।

''यह कि कार्यकारी समिति श्री..... का नाम रजिस्ट्रार को निदेश देना उचित नहीं समझती है।''

40. स्थगित सुनवाई का नोटिस.—(1) अन्य सत्र के लिए सुनवाई का स्थगन या निर्णय को मुल्तवी करने की दशा में, कार्यकारी समिति, पुन विचार के लिए आने वाले मामले पर आगामी विचार के लिए नियत दिन को आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी और शिकायतकर्ता (परिवादी) (यदि कोई हो) को सुन सकती है तथा परिवादी और व्यवसायी को, ऐसे कोई और तथा या साक्ष्य, जिन्हें वे कार्यकारी समिति के समक्ष रखना चाहते हो, लिखित रूप में रजिस्ट्रार को देने के लिए निवेदन किया जाएगा।

(2) सचूना (नोटिस) इस प्रकार से दी जाएगी कि दिन जिसको कि सचूना (नोटिस) दीगई है और नियत दिन के मध्य कम से कम 28 दिन अनुज्ञात किए जा सकें। जब तक इस नियम की अनुपालना में पहले से रजिस्ट्रार को उनका विवरण नही दिया गया हा, तब तक किसी पत्रकार द्वारा जांच के विचार के लिए प्रस्तुत कोई और तथा या साक्ष्य कार्यकारी समिति द्वारा प्राप्त नहीं किए जाएंगे या उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

41. सुनवाई.—(1) कार्यकारी समिति के समक्ष आगामी विचार के लिए आने वाले मामले पर रजिस्ट्रार, कार्यकारी समिति के सचिव के रूप में, यदि आवश्यक हो तो कार्यकारी समिति को तथ्यों का कथन करेगा और मामले की स्थिति स्पष्ट करेगा आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को तत्पश्चात कार्यकारी समिति के समझ बोलने के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से जिसकी उसने रजिस्ट्रार को सम्यक रूप से सूचना (नोटिस) दी हो, आमन्त्रित किया जाएगा। शिकायत कर्ता (परिवादी) (यदि कोइ हो) को भी कार्यकारी समिति के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बोलने और कोई और साक्ष्य, जिसकी उसने सम्यक रूप से सूचन (नोटिस) दी हो, उक्त समिति के समक्ष रखने के लिए आमन्त्रित करेगा।

(2) कार्यकारी समिति, आगामी सुनवाई की समाप्ति पर मामले पर एकांत में विचार–विमर्श करेगी और विचार–विमर्श के पश्चात् अध्यक्ष कार्यकारी समिति के पदेन सभापति के रूप में उक्त समिति से उसी संकल्प पर जैसे की मूल सुनवाई पर स्थगित मामले तथा ऐसे मामले, जिसमें किसी संकल्प पर, यथास्थिति, नियम 39 के उपनियम (3) (ग), (3) (घ) या (3) (ङ) के अधीन निर्णय मुल्तवी किया गया था में मतदान करने की अपेक्षा करेगा।

42. नाम को हटाने के लिए संकल्प.—(1) यदि कार्यकारी समिति की राय में विशिष्टतः परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा विहित किसी आचार संहिता के अधीन चिकित्सा वृद्वि के सम्बन्ध में आरोपी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का आचरण (कुत्सित) पाया जाता है तो यह अधिनियम की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार उक्त व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटाने के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा सभापति के रूप में रखे गए औपचारिक संकल्प द्वारा अध्यक्ष द्वारा सभापति के रूप में रखे गए औपचारिक संकल्प द्वारा अध्यक्ष को सिफारिश कर सकती है।

(2) कार्यकारी स्थिति द्वारा धारा 22 के अपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम हटाने के लिए आदेश परिषद् द्वारा पुष्टि के अध्याधीन होगा तथा ऐसी पुष्टि की तारीख से प्रभावी होगा।

43. नाम को हटाने का नोटिस.—(1) रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 22 के उपबंधो के अनुसरण में, रजिस्टर से किसी नाम के हटाने पर तत्काल ऐसे हटाए जाने का नोटिस रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को भेजेगा और ऐसा नोटिस उक्त व्यवसायी के आन्तिम ज्ञात पते पर या रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे हटाए जाने की सूचना तत्काल संकायध्यक्ष (डीन) या सचिव या निकाय या निकायों के समुचित अधिकारी जिससे कि उक्त व्यवसायी ने अर्हताएं प्राप्त की है, भी भेजेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसका नाम इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है रजिस्ट्रार को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभ्यर्पित करेगा तथा इस प्रकार हटाया गया नाम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

44. अनुज्ञापन निकाय को सूचना.– रजिस्ट्रार के अधिनियम की धारा 22 के उपबंधों परिषद् के आदेश द्वारा रजिस्टर से किसी नाम के हटाए जाने के पश्चात एक मास के भीतर, उस नियम का जिससे व्यवसायियों ने अपनी अहर्ताएं प्राप्त की हो, ऐसे नामों की एक सूची भेजेगा तथा प्रत्येक अनुज्ञापन निकाय का ध्यान कार्यकारी समिति के निम्नलिखित संकल्प की ओर आकृष्ट करेगा।

''कार्यकारी समिति यह सिफारिश करती है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम एक बार रजिस्टर से हटाया गया है और उक्त रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है, परिषद् को पूर्व संदर्भ के बिना, कोई नहीं अर्हता, जो अधिनियम के उपबंधो के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने योग्य है, अभिप्राप्त करने के लिए परीक्षा में प्रवेष के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।''

भाग–7

रजिस्टर में नाम का प्रत्यावर्तन

45. नाम को पुनः प्रविष्ट करने की शक्ति.– परिषद् यदि यह उचित समझे, किसी व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है, से आवेदन प्राप्त करने पर अधिनियम की धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रार को उसका नाम रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट करने के लिए निर्देष दे सकेगी।

46. नाम की पुनः प्रविष्टि के लिए आवेदन.–कोई व्यक्ति, जिसका नाम परिषद् के निदेष से धारा 22 के अधीन रजिस्टर से हटाया गया हैं परन्तु जो फिर भी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने हेतू उसे हकदार बनाने वाल अर्हता रखता है, अपने नाम की रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट के लिए प्ररूपः 3 में परिषद को आवेदन कर सकता है तथा ऐसे प्रत्येक आवेदन की बावत निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगाः–

(1) आवेदन, लिखत में, परिषद् को सम्बोधित किया जाएगा और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उन आधारों का कथन करेगा जिन पर आवेदन किया गया है।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे।

(क) मामले के तथ्य उपवर्णित करते हुए और यह कथन करते हुए कि वह मूल रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, आवेदक द्वारा की गई घोषणाः और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से एकः–

(1) आवेदक का डिप्लोमा
(2) उसका यदि उसे पहले ही उसके द्वारा वापस नहीं किया गया है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मूल रूप में
(3) उसकी पहचान के बारे में, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दो व्यवसायियों से प्ररूप–4 में प्रमाण पत्र।

(3) आवेदन में दिए गए कथन को अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दा व्यवसायियों द्वारा जो उस स्थान के पड़ोस के निवासी हों, जहां आवेदक अपना नाम हटाए जाने के पश्चात् से रह रहा है लिखित में दिए जाने वाले प्रमाण–पत्रों द्वारा भी सत्यापित किया जाएगा तथा वे उसका वर्तमान में अच्छा चरित्र भी प्रमाणित करेंगे।

(4) रजिस्ट्रार, परिषद् द्वारा आवदे न पर विचार करने से पूर्व, उसे उन अनुज्ञापन निकायों, जिनकी अहर्ताएं आवेदक द्वारा उस समय धारित की गई थी जब उसका नाम रजिस्टर से हटाय गया था, को अधिसूचित करेगा तथा फिर वह व्यक्ति या निकाय (यदि कोई हो), जिसके परिवाद पर आवेदक का नाम हटाया गया था को सम्बोधित पत्र आवेदन और उस समय, जब परिषद् उस पर विचार करने का आषय रखती है कि बावत सूचना (नोटिस) देगा।

(5) परिषद् आवेदन पर विचार करेगी और, यदि यह उचित समझे तो आवेदक से और साक्ष्य या स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने के लिए इस पर विचार भविष्य में किसी तारीख को स्थगित कर सकती है।

(6) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट आवेदन और प्रमाण–पत्र ऐसे फेरफार के साथ जो परिस्थितियों के अनुसार आपेक्षित हो, क्रमशः प्ररूप–5 और 6 मे होंगे। मुद्रित प्ररूप रजिस्ट्रार द्वारा अपने कार्यालय में रखे जाएगें आरै वह उन्हें आषयित आवेदक को प्रदत करेगा।

भाग–8

अपीलें

47. अपीलें.–(1) अधिनियम की धारा 24 के अधीन परिषद् को प्रस्तुत प्रत्यके अपील रजिस्ट्रार को संबोधित की जाएगी और उसके साथ हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2007 में यथा विहित फीस संलग्न की जाएगी।

(2) प्रत्येक अपील सम्यक् रूप से प्रस्तुत की गई समझी जाएगी, यदि उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया है या व्यक्तिगत रूप से या आवेदक द्वारा, लिखित में प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से परिषद् के कार्यालय में परिदित किया गया है।

(3) प्रत्यके अपील के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, जिसके विरूद्व अपील की गई है और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी।

(क) आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है।
(ख) संक्षेप में, परन्तु स्पष्टतः उपवर्णित अपील के आधार

(4) प्रत्यके अपील आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और सीविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अपील के आधारों के सत्यापन हेतु अधिकथित रीति में सत्यापित की जाएगी।

48. अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया.– (1) यदि अपील नियम 47 में अधिकथित रीति में प्रस्तुत नहीं की जाती है या इसके साथ विहित फीस संलग्न नहीं की गई है तो यह फीस संलग्न नही ं की गई है तो यह संक्षेपत अस्वीकृत की जाएगी।

(2) यदि अपील स्वीकृत की जाती है, तो परिषद् अपीलार्थी को और जहां अपील अपीलार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में पारित, रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्व है वहां ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात विनिश्चित करेगी। परिषद का प्रत्येक विनिश्चय रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाएगा जो उसे प्रभावशाली (प्रभावी) करेगा।

परिषद् के लेखों और विधियों का रख रखाव

49. संपति का प्रबन्धन.–रजिस्ट्रार परिषद की समस्त संपतियों के रख रखाव के लिए उतरदायी होगा, और परिषद् की जंगम (स्थाई) संपति का स्टॉक रजिस्टर रखेगा।

50. परिषद् के धन का बैंक में निक्षेप.– परिषद् भारतीय स्टैट बैंक में खाता खोलेगी और इसके अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियम 51 के उपबंध के बैंक में निक्षित किया जाएगा।

51. परिषद् की ओर से धन की प्राप्ति.– परिषद् को संदय समस्त धन, परिषद की ओर से रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित लिखित में प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा और जिस दिन यह प्राप्त किया जाएगा और जिस दिन यह प्राप्त किया जाएगा और जिस दिन यह प्राप्त किया जाता है उससे अगले दिन बैंक मे निक्षिप्त किया जाएगा। प्राप्त धन के बदले में रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप–7 में यथा निहित प्ररूप में रसीद प्रदान की जाएगी।

52. परिषद् के लेखों को प्रचलन– परिषद् की लेखा रजिस्ट्रार और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से सम्बन्धित पचलित किया जाएगा (और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इनको रजिस्ट्रार और उपाध्यक्ष द्वारा प्रचलित किया जाएगा।

53. स्थाई अग्रिम.–रजिस्ट्रार पांच हजार रूपये का स्थाई अग्रिम अपने पास रखेगा।

54. लेखों का अनुरक्षण.–परिषद् की ओर से प्राप्त की गई अथवा व्यय की गई समस्त धन को प्ररूप–8 में विहित प्ररूप में अनुरक्षित की जाने वाली साधारण रोकड़ वही में, रजिस्ट्रार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन, और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत परिषद् के किसी कर्मचारी के पर्यवेक्षण के अधीन, बिना किसी आरक्षण के परिषद् के लेखों में लिया जाएगा।

55. लेखों की संपरीक्षा.–(1) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा राज्य सरकार के वित विभाग के स्थानीय निधि लेखों के परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी।

(2) संपरीक्षा के ब्यौरे.–परीक्षक के ब्यौरे परीक्षक स्थानीय निद्यि लेखा वित विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिषद को संसूचित किए जाएंगे, और कार्यकारी समिति द्वारा उस पर विचार करने के पश्चात् लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट और संपरीक्षित विवरणी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अग्रेषित की जाएगी। उसी समय संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां परिषद् की समस्त सदस्यों को सूचनार्थ परिचलित की जाएगी।

56. लेखों के वार्षिक विवरण की तेयारी.–रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वितीय वर्ष की आय और व्यय का विवरण तैयार करवाएगा। ओर ऐसे मामलो पर जो उसे परिषद् के नोटिस में लाये जाने के लिए आवष्यक प्रतीत हो परिषद् का ध्यान करेगा।

57. प्राक्कलनों की तैयारी.–(1) रजिस्ट्रार, प्रत्यके वर्ष अक्तूबर मास में या ऐसी तारीख को जिसे अध्यक्ष नियत करें आगामी वर्ष के प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिये परिषद् की आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार करवाएगा। और उसे परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राक्कलनों में, परिषद् के दायित्वों को पूरा करने, और अधिनियम के उपबन्धों को सफलतापूर्वक में कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध जाएगें।

(3) परिषद् उप–नियम (1) के अधीन उसे प्रस्तुत प्राक्कलनों पर विचार करेगी और इसको इन्हें परिवर्तन क` साथ, और बिना परिवर्तन के जैसा उचित समझे , मंजूर कर सकेगी।

58. अनुपूरक प्राक्कलनों की तैयारी.–परिषद्, वर्ष के दौरान जिसके लिए कोई प्राक्कलन मंजूर हुआ था, किसी भी समय, अनुपूरक प्राक्कलन तैयार करवा सकेगी और उसे प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर, उसी रीति में, जैसे कि यह मूल वार्षिक प्राक्कलन हो, विचार किया जाएगा। कोई व्यय जो

नियम 57 के उपनियम (3) के अधीन मंजूर (स्वीकृत) प्राक्कलनों में या अनुपूरक प्राक्कलनों में सम्यक् रूप से उपगत उपबंधित नहीं है, उपगत नहीं किया जाएगा।

59. बिलों का संकल्प.—कर्मचारीवृन्द के समस्त वेतन बिल और धन के दावे के रूप में प्रस्तुत किये गए अन्य बाउचर, परिषद् के लेखाकार द्वारा प्राप्त और परीक्षित किये जाएंगे। यह समाधान हो जाने पर कि दावा सही है, बिल

(क) यदि दावा कर्मचारीपरिषद् के वेतन बिल से सम्बन्धित है या एक हजार रूपये से अनधिक रकम के लिए है तो, रजिस्ट्रार द्वारा, और (ख) अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा, पारित किए जाएंगे।

60. प्रतिदाय.—परिषद द्वारा फीस के लेखे पर प्राप्त रकम का, किसी भी परिस्थितियों में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। इस प्रकार प्प्राप्त की गई रकम परिषद् में उचत खाते में जामा की जाएगी। और यदि तीन वर्ष की अवधि के भीतर दावा किया जाता है तो रकम प्रतिसंदत की जा सकेगी और यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रतिदेय हेतू दावा नहीं किया जाता है तो रकम परिषद् के खाते में जमा कर दी जाएगी।

भाग—10

रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारीवृन्द की सेवा की शर्तें और रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार की पर्यवेखणीय शक्तियां तथा कर्तव्य

61. रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार की नियुक्ति.—(1) रजिस्ट्रार / उप—रजिस्ट्रार का पद स्थाई होगा। रजिस्ट्रार का वेतन राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (श्रेणी) के वेतन के समकक्ष होगा और उप रजिस्ट्रार का वेतन राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अक्रियाशील ग्रेड चयन श्रेणी के वेतन के समकक्ष होगा।

(2) परिषद् रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगी। और रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार परिषद् की अन्य समस्त नियुक्तियों हेतू नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(3) रजिस्ट्रार का पद्, परिषद् द्वारा, उप—रजिस्ट्रार के पद से प्रोकति द्वारा भेजा जाएगा। उप—रजिस्ट्रार का पद् परिषद् द्वारा उपयुक्त अभ्यार्थियों जो आवेदन की तारीख जो एम0 बी0 बी0 एस0 की न्यूनतम अर्हता रखते हो, एम0 बी0 बी0 एस0 के पष्चात् सरकारी / पब्लिक सैक्टर / प्प्राईवटे सवे टर या व्यवसाय म ें न्यनू तम दस वर्ष का अनुभव हा े और 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा हो, में से नीचे चयन द्वारा भेजा जाएगा। स्नातकोतर अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों को अधिमान दिया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार राज्य सरकार के समतुल्य पदों को अनुज्ञेय भते के समकक्ष भते प्राप्त करेंगे, जैसे कि महंगाई भता, आवास भता, नगर प्रतिकरात्मक भता, परिवहन भता, वाहन भता, व्यवसाय निषेध भता, शैक्षणिक भता, स्नातकोतर भता, यात्रा भता और दैनिक भता इत्यादि। छुटी और यात्रा हकदारियों उसी प्रकार की होगी जैसी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समरूप पद पर होती है।

62. रजिस्ट्रार / उप—रजिस्ट्रार के कृत्य.— (1) रजिस्ट्रार / उप—रजिस्ट्रार अधिनियम और इन नियमों में यथाविहित कानूनी कृत्यों का पालन करेंगे और उसके पास परिषद् के पत्राचार का प्रभार होगा आरै इन नियमों के अधीन अपेक्षित रीति में समस्त आवश्यक सूचनाओं (नोटिसों) को जारी करेगा।

(2) परिषद् के कार्यकारी अधिकारी के रूप में, वह समस्त वितीय संव्यवहारों को मंजरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(3) रजिस्ट्रार या अन्य कोई अधिकारी जो रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा है या उसका नामनिर्देषित मेजिस्ट्रेट के न्यायालय में शिकायत (परिवाद) दर्ज करने के लिए प्राधिकृत होगा और परिषद् की ओर से अधिवक्ता की सहायता से न्यायिक मामलों में भी प्रतिनिधित्व करेगा।

63. अन्य, स्टाफ कर्मचारी सदस्यों की नियुक्ति.– (1) कर्मचारी सदस्य स्टाफ मेम्बरज राज्य सरकार के समतुल्य पदों के कर्मचारियों को अनुज्ञेय भते के समकक्ष, भते प्राप्त करेंगे और महंगाई भता, आवास किराया भता, नगर प्रतिकरात्मक भता, परिवहन भता, यात्रा भता दैनिक भता इत्यादि भी प्राप्त करने के हकदार होंगे। कर्मचारी सदस्यों की छुटी और यात्रा हकदारिया उसी प्रकार की होगी जैसी राज्य सरकार के कर्मचारियों के समरूप पदों पर होती है।

(2) रजिस्ट्रार, अध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीनः–

(क) सम्यक् रूप से मंजूर पदों के लिए स्टाफ कर्मचारीवृद्व नियुक्त करेगा और

(ख) ऐसे अन्यासी कार्मिक को, एक समय में 89 अनधिक अवधिक के लिए जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित हो लगाएगा (रखेगा) आरै उन्हें परिश्रमिक का संदाय करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन की गई नियुक्तियों की रिपोर्ट परिषद् को की जाएगी।

64. सेवानिवृतिः–परिषद् के समस्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृति की सामान्य आयु वैसी होगी जैसी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू है। परिषद् किसी कर्मचारी को एक समय में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सेवा में विस्तारण मंजूर कर सकेगी और किसी अधिकारी / पदधारी को आपवादिक परिस्थितियों में भी दो ऐसे विस्तारणों से अधिक विस्तारण अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

65. त्याग पत्रः–(1) रजिस्ट्रार अध्यक्ष को इस प्रभाव का 3 मास को लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को परिषद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यदि वह यथा उपरावे त नोटिस दिए बिना अपने पद का छाड़े देता है, तो वह ऐसे नोटिस के बदले में संदेय कुल उपलब्धियों के समकक्ष रकम जमा करने के लिए दायी होगा।

(2) परिषद का कोई अन्य कर्मचारी रजिस्ट्रार को इस प्रभाव का यदि वह अस्थाई है तो एक मास का लिखित नोटिस देते हुए और यदि वह स्थाई है तो तीन मास का अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र उसके स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। अपेक्षित नोटिस देने में असफलता रहने की दशा में कर्मचारी नोटिस अवधि के बदले में संदेय कुल उपलब्धियों के समकक्ष रकम जमा करने के लिए दायी होगा।

66. अनुशासन प्राधिकारी.–(1) अनुशासिक अधिकारिता प्राधिकारः–

(क) अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति में निहित होगा, और

(ख) परिषद् के कर्मचारियों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार में निहित होगा।

(2) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपीली अधिकारिता / प्राधिकार परिषद् में निहित होगा।

67. सेवा का पर्यवासन.–(1) परिषद्, रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी कर्मचारी की सेवाओं को सम्यक जांच करने और ऐसे कर्मचारी को स्पष्टीकरण का उचित अवसर, कि क्यों न उसकी सेवाएं समस्त कर दी जाए, देने के पश्चात सेवाएं समाप्त कर सकेगा।

(2) परिषद् रजिस्ट्रार / उप–रजिस्ट्रार से भिन्न किसी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी पर कोई अन्य शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

(3) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से लोक सेवक (जाचं) अधिनियम, (1850 का 37) के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रार / उप–रजिस्ट्रार की सेवाएं समाप्त कर सकेगी।

68. उपदान तथा सेवा के अन्य निबंधन.– परिषद् कानूनी उपबंधों के अनुसार उपदान के लिए उपबंध करेगी। सेवा के अन्य निबंधन जैसे छुटी, छुटी मुनाना, छुट्टी यात्रा रियासत इत्यादि जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू है, वैसे ही लागू होगी। परिषद् कार्यकारी (स्टॉफ) सदस्यों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी का उपबंध करेगी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार स्वयं तथा उसके परिवार के आश्रित सदस्यों पर उपगत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी करेगी।

69. छुट्टी मंजूर करने की शक्ति.–रजिस्ट्रार परिषद् के कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर करने और उनके स्थान पर प्रतिस्थानी नियुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत होगा।

70. अभिदाय भविष्य निधि.–परिषद् के कर्मचारी पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे, परन्तु स्थायी कमर्चारियों को परिशिष्ट 'क' में दिये गए नियमों के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि की प्रसुविधा अनुज्ञात की जाएगी।

भाग–11

प्रकीर्ण

71. अभियोन.–(1) यदि रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्त होती है कि किसी अधिकारी या पदधारी ने अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है तो वह, यदि कोई शिकायत (परिवाद) है शिकायतकर्ता को कानूनी घोषणा या अन्यथा, अपनी शिकायत के समर्थन में प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत करने को कहेगा।

(2) रजिस्ट्रार उसके आधार पर मामले को, कार्यकारी समिति के समक्ष लाएगा जो यदि इस प्रकार सशक्त हो मामले में कार्यवाहियां सस्थित कर सकेगा और नियम 62 (3) के अधीन यथा उपबंधित मामलों को न्यायालय में व्यपदिष्ट (प्रस्तुत) कर सकेगा।

72. नियमों का निर्वचन.– इन नियमों के किसी निर्वचन या स्पष्टीकरण के मामले में राज्य सरकार का विनिश्चय आन्तिम होगा ।

प्ररूरूप –1

नियम 5 देखें

परिषद् के सदस्यों की विशिष्टियां दर्शाते हुए वही / रजिस्टर

नाम	पता	नामनिर्दिष्ट क्या या निर्वाचित है (जिस निर्वाचन मण्डल का वह प्रतिनिधित्व व्यपदेन करता है	पदावधि	पदाविधि के प्रारम्भ की तारीख
1	2	3	4	5

सामान्य अनुक्रम में तारीख जिस को पदावधि का अवसान होना है	यदि नियुक्ति को स्तम्भ (6) में वर्णित नियत तारीख से पूर्व किया गया है तो पूर्वतर समाप्ति की तारीख और कारण	टिप्पणियां
6	7	8

प्ररूप –2

(नियम 35 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 22 के अधीन जांच सम्बन्धी कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए आरोपित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को सूचना (नोटिस)

महोदय,

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् की कार्यकारी समिति की ओर से में आप को सूचना (नोटिस) देता हूं कि कार्यकारी समिति के समक्ष की गई शिकायत (परिवाद) और दिए गये साक्ष्य जिसके द्वारा शिकायतकर्ता (परिवादी) ने आपके विरूद्व निम्नलिखित आरोप लगाये है।

अर्थातः–

यह सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 22 के अधीन आपकी परीक्षा की जानी अपेक्षित है और मुझे आप को यह सूचना (नोटिस) देने के लिए निर्दिष्ट किया है कि .....दिन .....200 ... को, ... बजे आपके विरूद्व उपर्युक्त वर्णित आरोपों पर विचार करने और विनिश्चय करने के लिए कि क्या उन्हें, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2006 का 16) की धारा 22 के अनुसरण में, आप का नाम रजिस्टर से हटाए जाने के लिए निदेश देना चाहिए या नहीं।

आप से उपर्युक्त आरोपों का लिखित में जबाब देने और उपर्युक्त वर्णित स्थान और समय पर कोई खण्डन (प्रत्याख्यान) या प्रतिरक्षा (सफाई) जो आप देना चाहते है को साबित करने के लिए कार्यकारी समिति के समक्ष उपस्थित होने का निवेदन किया जाता है और आपको एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आप यदि अनुरोध के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं, तो कार्यकारी समिति, आप भी अनुपस्थिति मे उक्त आरोपों की सुनवाई करे और विनिश्चय कर सकेगी।

आरोपों के सम्बन्ध में या उससे प्रतिरक्षा (सफाई) में कोई जवाब या अन्य संसूचना या आवेदन जो आप देने (प्रस्तुत करने) की वांछा रखते हो, अद्योहस्ताक्षरी को सम्बोधित और परिषित रखते हो, अद्योहस्ताक्षरी को सम्बोधित और पारेषित किए जाएंगे जिससे कि, उक्त मामले की सुनवाई के लिए नियत दिन से पूर्व ..... दिन से अन्यून अवधि के भीतर उस तक पहुंच जाए।

रजिस्ट्रार

प्ररूप–3

(नियम 46 देखें)

चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर से धारा 22 के अधीन हटाये गये नाम की पुनः प्रविष्टि हेतू आवदेन

सेवा में,

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

.....

.....

महोदय,

मैं (क) ..... अद्योहस्ताक्षरी (ख)..... अर्हताएं रखते हुए एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूं।

वर्ष (ग) .....में मेरा नाम निम्नलिखित अर्हताओं की बावत अर्थात (घ) ..... के रजिस्टर में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, और मेरा नाम हटाये जाने की तारीख को मैं निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं अर्थात (ङ) ..... की बावत रजिस्ट्रीकृत था।

रजिस्ट्रार ने रजिस्टर से मेरा नाम (च) ..... नवीकरण फीस के संदाय के व्यतिक्रम में हटाया है।

रजिस्टर से मेरा नाम हटाये जाने से मै (छ).....स्थान पर निवास कर रहा हूं और (ज) ..... मेरा व्यवसाय है।

मैं यह निवेदन करता हूं कि (झ) के रूप में मेरा नाम रजिस्टर में पुनः किया जाए।

भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम और पता.....
रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
टिप्पण.....

(क) पूरा नाम लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(ख) अर्हता लिखें अन्त स्थापित करें
(ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(घ) अर्हताएं लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(ङ) अतिरिक्त अर्हताएं लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(च) हटाये जाने की तारीख लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(छ) विशिष्टियां दें।
(ज) वृत्रिक व्यवसाय से सम्बन्धित विशिष्टियां लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(झ) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी।

प्ररूप –4

(नियम 46(2) (ख) (iii) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... जिसका नाम हिमाचल प्रदेष चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2003 (2003 का 16) के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में पहले से ही है, मेरा सुपरिचित है और चरित्रवान है।

नामः–
(प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम)
पता.....
अर्हता.....
तारीख.....

प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर,

रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

प्ररूप –5

(नियम 46 (6) देखें)

अधिनियम की धारा 22 के अधीन आवेदक द्वारा चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में नाम की पुनः प्रविष्टि (प्रवेश) हेतू कानूनी घोषणा।

सेवा में,

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्
.....
.....
.....

(1) मैं, अद्याहे स्ताक्षरी (क) अब ..... की अर्हताएं रखते हुए (ख) सत्यनिष्ठा (ख) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित तथा मेरे मामले के है, जिनके आधार पर मैं चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपने नाम की पुनः प्रविष्टि चाहता हूं।

(2) (ग)..... को मेरा नाम निम्नलिखित अर्हताओं के बारे में अर्थात रजिस्टर में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, (घ) अर्थात ..... जाचं की तारीख को मैं उन्हीं अर्हताओं की बावत रजिस्ट्रीकृत था, (ङ) और निम्नलिखित अतिरिक्त अहर्ताओं की बावत भी रजिस्ट्रीकृत था, अर्थातः–

(3) (च).....दिन..... को की गई जाचं पर, (घ) ..... के. ..... द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् को की गई शिकायत पर, परिषद् ने (ज) मुझे ..... से अधिरोपित करते हुए, मेरा नाम रजिस्टर से हटाये जाने का निदेश दिया था।

(4) रजिस्टर से मेरा नाम हटाये जाने से मैं (झ) ..... स्थान पर निवास कर रहा हूं और..... ..... मेरा व्यवसाय है।

(5) यह मेरा आशय (अभिप्राय) है कि (ञ) ..... के रूप में मेरा नाम रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जाए।

(6) आवेदन के आधार (ट) ..... है। मेरे समक्ष स्थान ..... तारीख..... को घोषित किया गया।

मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक

टिप्पणः–

(क) पूरा नाम लिखें (अन्त स्थापित करें)
(ख) अर्हताएं, यदि कोई है लिखें अन्त स्थापित करें
(ग) तारीख लिखें (अन्तः स्थापित करें)
(घ) जाचं की तारीख लिखें (अन्त स्थापित करें)
(ङ) अर्हताएं वर्णित करें।
(च) शिकायतकर्ता का नाम और पता लिखें (अन्त स्थापित करें)
(छ) आरोप जिस पर नाम हटाया गया था लिखें (अन्तः स्थापित करें)

(ज) पता लिखें (अन्तः स्थापित करें)

(झ) वृत्रिक व्यवसाय से सम्बन्धित विशिष्टियां लिखें (अन्तः स्थापित करें)

(ञ) आवेदन में दिए गए (वर्णित) समस्त तथा और आधार स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में कथित होने चाहिए।

प्ररूरूप–6

(नियम 46 (6) देखें)

प्ररूप–5 में आवेदन के पैरा (4) और (5) की विषय वस्तु के सत्यापन के बारे में प्रमाणपत्र

मैं ..... निम्नलिखित प्रमाणित करता हूं: –

(1) मेरी रजिस्ट्रीकरण संख्या..... है।

(2) मैनें..... के आवदे न के पैरा (4) और (5) पढ़ लिए हैं और कथन करता हूं कि मैं उक्त..... ..... दोनों से अवगत किया गया / हूं और चूंकि उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है मैं उस एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति समझता हूं और मेरे द्वारा किए गए कथन (स्टैटमेन्टस) मेरे ज्ञान, सूचना और विश्वास से सही है।

हस्ताक्षर

प्ररूप– 7

(नियम 51 देखें)

पावती (रसीद)

हिमाचल प्रदेष चिकित्सा परिषद, साधारण नियम, 2007 का नियम 51 और हिमाचल प्रदेष चिकित्सा परिषद्फीस नियम, 2006 का नियम 3 (3) देखें	हिमाचल प्रदेष चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम,2007 का नियम 22 और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम्, 2006 का नियम 3 (3) देखें
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्।	हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्
वही संख्या.....	वही संख्या.....
क्रम संख्या.....	क्रम संख्या.....
तारीख.....	तारीख.....
श्री / श्रीमति..... से ..... रूपये..... की रकम..... के लेखे रोकड़ / अदायगी आदेश के माध्यम से प्राप्त की गई है।	श्री / श्रीमति ..... से.....रूपये) की रकम..... के लेखे रोकड़ / अदायगी आदेश के माध्यम से प्राप्त की गई है।
रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार

प्ररूप–8

(नियम 54 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

साधारण रोकड़ वही

मास आरै तारीख	वर्गीकृत संक्षिप्त सार की पन्ना फोलियो संख्या	विभागीय मुख्य लघु और विस्तृत शीर्ष और उपशीर्ष के ब्यौरे	पावती (रसीद की विशिष्टियां और व्यक्ति का नाम जिससे प्राप्त किया गया है)
1	2	3	4

बैकं (रसीद) पावती की संख्या और तारीख	रकम	कुल दैनिक	बैकं को प्रेषित बैंक (रसीद) पावती की संख्या तारीख	रकम	मास
5	6	7	8	9	10

तारीख	वर्गीकृत सरा की पल्स पोलियो संख्या	विभागीय मुख्य उप–शीर्ष और लेखे के उप शीर्ष के ब्यौरे	प्रभार की प्रविष्टियां और पाने वाले का नाम
11	12	13	14

बाउचर की संख्या	चैक की संख्या आरै तारीख	रकम	कुल दैनिक
15	16	17	18

परिशिष्ट 'क'

(नियम 70 देखें)

परिषद् के कर्मचारियों के लिए अभिदायी भविष्य निधि नियम

1. (1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्व न होः–

(क) 'जमाकर्ता' से कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसकी ओर से इन नियमों के अधीन निक्षपे किया जाता है।

(ख) ''कर्मचारी'' के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के कार्यालय में अधिष्ठायी नियुक्ति धारित (धारण) करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरणः–

अधिष्ठायी नियुक्ति में परिवीक्षा पर किसी कर्मचारी को, इन नियमों के प्रयाजे न हेतू कर्मचारी नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह स्थायी (पक्का) न हो जाए।

(ग) ''कुटुम्ब'' से यथास्थिति पत्नी या पति, और पूर्ण रूप से कर्मचारी पर आश्रित माता पिता, बच्चे और सौतेले बच्चे अभिप्रेत है।

(घ) ''निधि'' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् द्वारा स्थापित अभिदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है।

(ङ) ''ब्याज'' से ऐसा ब्याज अभिप्रेत है जो, ऐसे संस्थानों की बाबत, प्रवृत नियमों के अधीन किसी सरकारी बचत बैंक में जमा की गई राशि (रकम) पर संदत किया जाता है।

(च) ''नियमो'' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के कर्मचारियों के लिए अभिदायी भविष्य निधि नियम अभिप्रेत है, और

(छ) वेतन के अन्तर्गत वेतन या निजि भते के रूप में नियत समस्त मासिक भते सम्मिलित है परन्तु विशिष्ट व्यय, जैसे कि यात्रा या वाहन या आवास किराया भते, चाहे दैनिक या मासिक या वार्षिक आधार पर संदत किए गए हो को वहन करने के लिए स्वीकृत दिए गए भते सम्मिलित नहीं होंगे।

2. उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में ही परिषद के कार्यालय में किसी नियुक्ति के लिए नियुक्त या प्रोभत प्रत्येक कर्मचारी, जब तक कि परिषद के अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छूट न दे दी जाए, अपने वेतन से भविष्य निधि में जिसका अध्यक्ष के पदीप नाम से डाकखाना बचत बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जाएगा में एक रूपये में 8 पैसे की दर से अभिदाय करेगा। परिषद् द्वारा कटौती, प्रस्तुत किए गए प्रत्यके वेतन बिल से की जाएगी और उसे तुरन्त भविष्य निधि में जमा कर दिया जाएगा इस कटौती की संगणना करते समय वेतन के रूपये के भाग का लोप किया जाएगा।

3. परिषद नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता के जमा खाते में, उसके वेतन में से की गई कटौती की रकम में बराबर रकम का अंषदान करेगी। ऐसा अंषदान, वेतन से कटौती सहित मासानुमास ऐसे कर्मचारी के पक्ष में, निधि में जमा किया जाएगा।

4. अभिदाय भविष्य निधि खाताः– (1) इन नियमों से संलग्न प्ररूप–1 परिषद् के कार्यालय में अनुरक्षित रखा जाएगा। नियम 2 के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता के वेतन से की गई मासिक कटौती की रकम आरै इन नियमों नियम 3 में निर्दिष्ट मासिक अंषदान तुरन्त अभिदायी भविष्य निधि खाता (लैजर) में दर्ज किया जाएगा और इस प्रकार दर्ज की गई रकम् इन नियमों के नियम 2 में निर्दिष्ट जमाकर्ता के संयुक्त खाते में, डाक खाना बचत बैंक में सम्यक् रूप से संदत की जाएगी। डाकखाना बचत बैंक में यह संदाय, प्रत्यके मास के प्रथम और चतुर्थ दिवस के मध्य किया जाएगा ताकि उस पर ब्याज उपगत हो सके।

5. जिस अवधि के दौरान कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर है उस अवधि के लिए भविष्य निधि में कोई अभिदान और अंशदान नहीं किया जाएगा।

6. यथासम्भव शीघ्र, किसी वितीय वर्ष के समाप्त होने और डाकखाने द्वारा बचत बैंक संयुक्त खाता पास बुक में ब्याज जोड़े जाने के पश्चात उसे इन नियमों से संलग्न प्ररूप–2 में दी जाएगी। प्रत्यके जमाकर्ता के खाते की एक प्रति दी जाएगी।

7. कोई भी कर्मचारी, अपनी ओर से परिषद् द्वारा अभिदायी किसी रकम का कोई भाग या अंश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह परिषद् की सेवा में (कम से कम) बारह मास तक न रहा हो, और त्यागपत्र देने की दशा में, अध्यक्ष द्वारा उसे नियुक्ति से त्याग पत्र देने की अनुज्ञा दी हो।

8. परिषद का कोई भी कर्मचारी जो अध्यक्ष की राय में बेईमानी या अन्य घोर अवचार का दोषी पाया जाता है, परिषद् के अनुमोद न के सिवाय अपनी ओर से परिषद् द्वारा अंशदत किसी राशि (रकम) का कुछ भाग या अंश या उसपर संचित ब्याज अथवा लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। परिषद् कर्मचारी की बेईमानी को हुई किसी क्षति या नुकसान की रकम के बराबर रकम, सेवक की तत्सम्य जमा राशि से इस राशि को प्रथम भार के रूप में वसूल करने के लिए हकदार होंगे।

9. (1) यदि कोई कर्मचारी पदच्यूत हो जाता है तो, परिषद् उसके खाते में उसके द्वारा किया गए अंशदान को उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित समस्त रूप में या उसके किसी अंश भाग को रोक सकेगी और सेवक कर्मचारी को ऐसे अंशदान और उस पर प्रोदभतू ब्याज के बिना, केवल उसके जमा खाते को बकाया अतिशेष संदाय करेगी।

(2) इन नियमों के नियम 8 और 10 में उपबंधित के सिवाय, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट बकाया, पदच्यूति या किसी अपराध के लिए दोषसिद्वि पर समपहरण का दायी नहीं होगा।

10. किसी कर्मचारी के त्यागपत्र, स्थानांतरण पदच्यूति या मृत्यु के समय, यदि उसके विरूद्व परिषद् का बकाया रहता हो तो परिषद ऐसी बकाया रकम (राशि) की, उसके जमा खाते से कटौती कर सकेगी और उसे बकाया (अतिशेष) यदि कोई है का संदाय करेगी।

11. नियम 7, 8, 9 आरै 10 के अधीन कर्मचारी का रोका गया कोई अंशदान और उस पर प्रोदभूत ब्याज, परिषद् का होगा और बचत बैंक संयुक्त खाते से प्रत्याहन किया जाएगा और परिषद् की निधि में जमा किया जाएगा।

12. जमाकर्ता की सेवानिवृति से पूर्व या सेवानिवृति के पष्चात, मृत्यू होने की दशा में परन्तु उसके खाते में जमा राशि को उसे सौंपने से पूर्व नियम 7, 8, 9 और 10 के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों के मध्य वितरित की जाएगी जो कर्मचारी के नामनिर्देशन इन नियमों से संलग्न प्ररूप–3 में नामित किए जाए जो कर्मचारी के निधि खाते में प्रथम जमा के समय की जाएगी। जमाकर्ता रजिस्ट्रार को लिखित आवेदनों द्वारा समय समय पर अपने नामनिर्देशिती / नामनिर्देशितियों को बदल सकेगा।

13. जमाकर्ता द्वारा परिषद की सेवा छोड़ने पर उसका खाता बन्द कर दिया जाएगा और यदि उसके खाते में जमा रकम को 6 मास के भीतर वापस नहीं लिया जाता तो रकम को निष्क्रिय लेखा के रूप में अपलिखित किया जाएगा और तत्पश्चात् रकम केवल अध्यक्ष के आदेशों के अधीन ही संदत की जाएगी।

14. जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है तो इसे अभिदायी भविष्य निधि खाता में बन्द कर दिया जाएगा, बचत बैंक संयुक्त खाते से प्रत्याहत की जाने वाली राशि और रोकड़ वही में विविध प्राप्ति के रूप में जमा की जाएगी। यदि रकम का तत्पश्चात दावा किया जाता है तो रोकड़ वही और अभिदाय भविष्य निधि खाता की प्रविष्टियों का पता लगाया जाएगा और संदाय के प्रयोजन हेतू अध्यक्ष का आदेश प्राप्त किया जाएगा। संदाय किया जाएगा और संदाय के तथ्य आरै आदेश के संदर्भ दोहरे संदाय से बचने के लिए प्रत्येक खाता वही की प्रविष्टि के सामने किया जाएगा।

15. डाकखाना बचत बैंक संयुक्त लेखा अध्यक्ष के पदीय नाम से खोला जाएगा। बचत बैंक की पास बुक कार्यालय के सेवा में अभिरक्षा में रखी जाएगी। संयुक्त खाते से कोई प्रत्याहरण केवल अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्ष पर ही किया जाएगा।

16. उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब जमाकर्ता की धन–सम्बन्धी (धनीय) परिस्थितियां ऐसी हो कि रियासत, अत्यन्त अत्यवाश्यक जरूरत का मामला हो तीन मास के वेतन से अन्यून अस्थायी अग्रिम या जमाकर्ता के जमा बकाया का आधा जो भी कम हो अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन्हीं प्रयोजनो हेतू बचत बैंक खाते से अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) अभिदता या उसके परिवार के किसी सदस्य की रूग्णवस्था के सम्बन्ध में उपगत व्यय के संदाय हेतू।

(2) विवाह या अत्येष्टि संस्कार के सम्बन्ध में उपगत व्यय के संदाय हेतू जो अभिदाता के धर्म के अनुसार करना आवश्यक हो, जिसके सम्बन्ध में यह बाध्यकर है कि व्यय उपगत किया ही जाएगा। जब किसी अभिदाता ने अग्रिम लिया हो, तो उसे द्वितीय अग्रिम तब तक मंजूर नही किया जाएगा जब तक पहला अग्रिम पूर्ण रूप से जमा (संदत) न कर दिया हो।

स्पष्टीकरण

इस नियम के प्रयोजन हेतू वेतन से मलू वेतन अभिप्रेत है और किसी प्रकार कि भत्ते इसमें सम्मिलित नहीं है।

17. अग्रिम 24 बराबर मासिक किश्तों से अनीधक में वसूल किया जाएगा। अभिदाता, तथापि, अपने विकल्प पर, 24 किश्तों से अन्यून में प्रतिसंदाय कर सकेगा या एक ही समय पर दो या अधिक किश्तें प्रतिसंदत कर सकेगा। वसूलिया अग्रिम मंजूर होने के पश्चात् पूरे मास के वेतन के प्रथम संदाय से प्रारम्भ की जाएगी किन्तु जब अभिदाता बिना किए छुटी पर हो तो कोई वसूली नहीं की जाएगी। किश्त वेतन से अनिवार्य

कटौतियों द्वारा वसूल की जाएगी और सामान्य अंशदान के अतिरिक्त होगी। वसूली किए जाने पर प्रत्येक किश्त भी वसूली भी तुरन्त बचत बैंक संयुक्त लेखे में संदत (जमा) की जाएगी।

18. यदि किसी अभिदाता को अग्रिम स्वीकृत किया गया है, और उसके द्वारा आहृत किया गया है और बाद में अगिम्र प्रतिसंदाय के पूर्ण होने से पूर्व मंजूर हो जाता है तब प्रत्याहत रकम का पूरा या बकाया जमाकर्ता द्वारा तुरन्त निधि में प्रतिसंदत किया जाएगा या व्यतिकम्र की स्थिति में, अध्यक्ष के आदेश से जमाकर्ता की उपलब्धियों से कटौती द्वारा एक मुश्त या 12 से अनधिक मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा। जैसा अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

19. इन नियमो में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष का समाधान होते हुए भी, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि नियम के 16 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में प्रत्याहृत राशि का जिस प्रयोजन के लिए मंजूर हुई थी। उससे अन्यथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है तो प्रश्नगत रकम जमाकर्ता द्वारा तुरन्त निधि में प्रतिसंदत की जाएगी, या व्यतिक्रम की स्थिति में, अध्यक्ष द्वारा आदेश से जमाकर्ता की उपलब्धियों से एक मुश्त कटौती द्वारा वसूल की जाएगी।

20. अभिदायी भविष्य निधि से फायदा (प्रसुविधा) लेने के लिए प्रत्येक कर्मचारी लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा कि उसने इन नियमों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत है।

प्ररूप –1

(परिशिष्ट 'क' के नियम 4 को देखें)

अभिदाय भविष्य निधि खाता

जमाकर्ता क्रम सं0	नाम	पदनाम	आरंभिक अतिशेष	तारीख
1	2	3	4	5

जमा बचत खाते में अभिदाता द्वारा		हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद द्वारा		कुल अद्यतन		तारीख	रकम		कुल अद्यतन	
6		7		8		9	10		11	
रू.	पैसे	रू.	पैसे	रू.	पैसे	रू. पैसे	रू.	पैसे	रू.	पैसे

तारीख		रकम		कुल अद्यतन		कुल जमा बचत बैंक में ब्याज सहित (स्तम्भ 11 से 14)	
12		13		14		15	
रू.	पैसे	रू.	पैसे	रू.	पैसे	रू.	पैसे

अग्रिम जमा			बचत बैंक में अतिशेष		प्रत्येक मास के अन्त में प्रत्यके का जमा अतिशेष			टिप्पणियां	
तारीख		रकम		तारीख		रकम			
16		17		18		19	20		21	
रू.	पैसे	रू.	पैसे	रू.	पैसे	रू. पैसे	रू.	पैसे	रू.	पैसे

प्ररूप –2

(नियम 6 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् लेखा वर्ष.....

जमाकर्ता का नाम	प्रारम्भिक अतिशेष	वर्ष के दौरान जमा राशियां		कुल	वर्ष के दौरान प्रतिशत की वसूलयिां
		जमाकर्ता का (भाग)	परिषद् का अंश		
1	2	3	4	5	6

वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज	वर्ष के दौरान प्रत्याहरण	अतिशेष
7	8	9

- इसमें पूर्वतर वर्षों मे वसूल की गई ..... जैसे कि नीचे दर्शाई गई है परन्तु लेखे में इसी वर्ष दिखाई गई है भी सम्मिलित है

तारीख.....

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

पूर्वतर अवधि से सम्बन्धित जमा पर ब्याज की दर भी सम्मिलित है।

- कृपया गुम जमा / विकलन हेतू इस पृष्ठ के पिछली देखें।
-

टिप्पण 1. यदि निक्षेपक पहले किए गए नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो निधि के नियमों के अनुसार संशोधित नामांकन तत्काल फाईल किया जा सकेगा।

2. यदि निक्षेपक का पहले कोई अपना परिवार नहीं था और उसने अपने परिवार से भिन्न किसी व्यक्ति / व्यक्तियों को नामांकित किया है तथा तत्पष्चात् अपना परिवार बनाया है तो वह अपने परिवार के सदस्य / सदस्यों के पक्ष में नामांकन प्रस्तुत करेगा।

3. निक्षेपक से कथन की शुद्वियों की बावत अपना समाधान करने और गलतियों को, यदि कोई हो, इसकी प्राप्ति की तारीख से ..... मास के भीतर रजिस्ट्रार की जानकारी में लाने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि जमा (मिस–इन्ग) विकलन मुझे जमा मिसइन्ग क्रेडिट विकलन का विवरण नीचे दिया गया है:–

यदि ये अभिदान / आहरण / आहरणों के प्रतिदान वास्तव में किए गए है तो निक्षेपक उन बाउचरों की विशिष्टिया प्रत्येक बाउचर की संख्या इसको मुनाने की तारीख, खजाने का नाम, लेखा–शीर्ष और बाउचर की शुद्व राशि अपदर्षित करने हुए दे सकता है जिनमें कटौतियां की गई थी राशियां आहृत की गई थी।

(अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में से विशिष्टियां मुख्या कार्यालय द्वारा दी जा सकती है।)

अभिदान			आहरणों का प्रतिदाय		अग्रिम	आहरण
वर्ष	वेतन का मास	राशि	वर्ष	वेतन का मास	वर्ष	वेतन का मास

प्ररूप–3

(नियम 12 देखें)

नामनिर्देशन का प्ररूप

क. जब जमाकर्ता का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य को नाम निर्देशित करने की वांछा रखता हो।

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम, 2007 के परिशिष्ट 'क' में यथा अन्तर्विष्ट अभिदायी भविष्य निधि नियम, 2007 के नियम के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य है, को मेरी मृत्यु होने की दशा में, मेरी निधि में जमा रकम्, जो संदेय होने से पूर्व, या संदेह हो परन्तु मुझे संदत न की गई हो, प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट करता हूं।

नाम निर्देषित का नाम व पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध	आयु	अकस्मिकताएं जिसके घटने (होने) पर नाम निर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।	नाम निर्देशित का जमाकर्तासे पहले मर जाने की दशा में, व्यक्ति / व्यक्तियों यदि कोई है जिन्हें नाम निर्देशिती का हक संक्रात किया जाएगा, का नाम, पता, और सम्बन्ध
1	2	3	4	5

आज तारीख..... को ..... स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर.....

1. .....
नाम.....
पता.....

2. .....
नाम.....
पता.....

(ख) जहां जमाकर्ता का परिवार हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य का नामनिर्देशन करके की वांछा रखता है।

मैं एतदद्वारा निम्नवर्णित व्यक्तियों, जो हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम, 2007 के परिषिष्ट 'क' में यथा अन्तर्विष्ट अभिदायी भविष्य निधि नियम, 2007 के नियम 1 के उपनियम (1) के खण्ड में यथा परिभाषित मेरे परिवार के सदस्य है, को मेरी मृत्यु होने की दशा में, मेरी निधि में जमा रकम, जो संदेय होने से पूर्व या संदेह हो, परन्तु मुझे संदत न की गई हो, प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट करता हूं और यह कथन करता हूं कि उक्त रकम उक्त व्यक्तियों के मध्य उनके नामों के सामने दर्षाई गई रीति में वितरित की जाएगी।

नामनिर्देशित का नाम व पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध	आयु	प्रत्यके का संदत किया जाने वाला रकम का भाग	अकस्मिकताएं जिनके घटने (होने) पर नामनिर्देशन अविधि मान्य हो जाएगा।	नाम निर्देशिति का जमाकर्ता से पहले मर जाने की दशा में व्यक्ति / व्यक्तियों यदि कोई है जिसे / जिन्हें नामनिर्देशिता का हक संक्रांत किया जाएगा। का नाम पता और सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6

आज तारीख..... को.....स्थान पर।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1 .....

नाम.....

पता.....

3. .....

नाम.....

पता.....

टिप्पणः– यह स्तम्भ इस प्रकार से भरा जाएगा ताकि पूर्ण राशि, जो किसी भी समय जमाकर्ता के खाते में जमा हो सकेगी इसके अन्तर्गत आ सकें।

(ग) जब जमाकर्ता का परिवार न हो और किसी एक व्यक्ति का नामनिर्देशन करने की वांछा रखता है।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम, 2007 के परिशिष्ट 'क' में यथा अन्तर्विष्ट अभिदायी भविष्य निधि नियम के नियम (1) के उपनियम 1 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित, मेरा कोई परिवार नहीं है और एतद् द्वारा निम्न वर्णित व्यक्ति को, मेरी मृत्यु होने की दशा में मेरी निधि में जमा रकम, जो संदेय होने से पूर्व या सदं ये हो, परन्तु मुझे संदत न की गई हो, प्राप्त करने के लिए नामनिर्दिष्ट करता हूं।

नामनिर्देशित का नाम व पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध	आयु	अकस्मिकताएं जिसके घटने (होने) पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	नाम निर्देशिती का जमाकर्ता से पहल मरे जाने की दशा में व्यक्ति / व्यक्तियों यदि कोई है जिन्हें नामनिर्देशिती का हक संक्रांत किया जाएगा, का नाम, पता और सम्बन्ध
1	2	3	4	5

आज .....तारीख को.....स्थान पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर
1. .....
नाम.....
पता.....
2. .....
नाम.....
पता.....

टिप्पणः–जहां ऐसा जमाकर्ता जिसका परिवार नहीं है, नामनिर्देशन करता है, तो वह इस स्तम्भ में विनिर्दिष्ट करेगा कि यह नाम निर्देशन उसके द्वारा बाद में परिवार हो जाने की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

घ. जब जमाकर्ता का परिवार न हो और एक से अधिक व्यक्ति नामनिर्देशन करने की वांछा रखता हो।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद (साधारण) नियम, 2007 के परिशिष्ट ''क'' में यथा अन्तर्विष्ट अभिदायी भविष्य निधि नियम के नियम (1) के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित, मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं एतद द्वारा निम्नवर्णित व्यक्तियों को, मेरी मृत्यु होने की दशा में, मेरी निधि में जमा रकम, जो संदेय होने से पूर्व या संदेय हो, परन्तु मुझे संदत न की गई हो, प्राप्त करने के लिए, नामनिर्दिष्ट करता हूं और यह कथन करता हूं कि उक्त रकम, उक्त व्यक्तियों के मध्य उनके नामों के सामने दर्शाई गई रीति में वितरित की जाए।

नामनिर्देशिति का नाम व पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक संदत किया जाने वाला रकम का भाग	अकस्मिकताएं जिनके घटने (होने) पर नाम निर्देशन अविद्यिमान्य हो जाएगा।	नाम निर्देशिति का जमाकर्ता से पहले मर जाने की दशा में व्यक्ति / व्यक्तियों यदि कोई है, जिसे / जिन्हें नामनिर्देशिती का हक संक्रांत किया जाएगा, का नाम, पता और सम्बन्ध।
1	2	3	4	5	6

आज..... तारीख को .....स्थान पर।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर
दो साक्षियों के हस्ताक्षर

1. .....
नाम.....
पता.....

2. .....
नाम.....
पता.....

टिप्पणः—यह स्तम्भ इस प्रकार से भरा जाएगा ताकि पूर्ण राशि, जो किसी भी समय, जमाकर्ता के खाते में जमा हो सकेगी, इसके अन्तर्गत आ सके।

टिप्पणः—जब ऐसा जमाकर्ता जिसका परिवार नहीं, नामनिर्देशन करता है, तो वह इस स्तम्भ में विनिर्दिष्ट करेगा कि यह नामनिर्देशन उसके द्वारा बाद में परिवार की दशा में अविधिमान्य हो जाएगा।

संख्या का उपदर्शित किया जाना

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव ।

———————

[Authoritative English Text of this Department notification No.HFW-B(A)2 2/2001–IV, dated 16-8-2007 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by Section 31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act ibid and hereby publishes the same in the Rajpatra Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person likely to be affected by these rules has any objection or suggestion with regard to these rules, he may send the same to the Principal Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra Himachal Pradesh;

The objection or suggestion, if any received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the Government before finalizing the said draft rules, namely:—

DRAFT RULES

PART-I

PRELIMINARY

1. *Short title.*— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2007.

2. *Definitions.*— (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);
(b) "Appendix" means an appendix appended to these rules;
(c) "Complainant" means any person who makes a complaint under the Act;
(d) "Complaint" means any allegation in writing made by a complainant addressed to the Registrar or President regarding any disqualification incurred by a medical practitioner under section 7;
(e) "Form" means a Form appended to these rules;
(f) "Person" shall include any company or body corporate or association or body of individuals; whether incorporated or not or artificial juridical person;
(g) "Prescribed Fees" means the fees prescribed by the State Govt. under the Himachal Pradesh Medical Council (Fee) Rules, 2006 or under any other provisions of the Act;
(h) "section" means a section of the Act; and
(i) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used herein and but not defined in these Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II

HEADQUARTER, CORPORATE SEAL APPOINTMENT OF MEMBERS AND CONDUCT OF BUSINESS OF THE COUNCIL

3. *Headquarter.*—The office of the Council shall situate in Indira Gandhi Medical College and Hospital at Shimla, or at such other place as the Government may fix.

4. *Corporate Seal.*— (1) The Common seal of the Council shall be kept in a box having two different locks and the key of one lock shall be in the custody of the President and the key of the other lock in the custody of the Registrar.

(2) The seal shall be affixed on each registration certificate which is issued under these rules and on such other documents as the Council, or when, the Council is not sitting the Executive Committee, may direct, but its use by the said Committee shall be limited to such acts as may be necessary to carry into effect the power delegated to it by the Council.

5. *Register of Members.*— A book in Form-I shall be kept, containing the names of the members of the Council, the electorates they represent, the date of appointment of each member, the terms for which he was elected /nominated and the dates of death, resignation or retirement of each member, and such book shall be regularly kept up so as to show the period at which each of the bodies that has power to appoint may proceed to make a new appointment and the same particulars shall be kept with regard to members appointed by the State Government.

6. *Calling of meetings.*— (1) The Council shall meet, at least twice in a calendar year, on such date, time and place as may be fixed by the President:

Provided that the President;

(a) may call a special at any time on days' clear notice to deal with any urgent business requiring the attention notice of the Council; and
(b) shall call a special meeting on 15 days' notice, if he receives a notice in writing signed by not less than 1/3rd members and stating the purposes of the meeting and the business which Council is required transact under the provisions of the Act.

(2) At the special meeting called by the President only the business for which the meeting has been called shall be transacted, unless the Council by a resolution to transact any other business.

7. *Notice for calling the meetings.*—(1) All the members shall be thirty clear days' notice for ordinary meeting and 15 days' notice for a special meeting by the Registrar. Every notice shall specify the date, time, place and agenda of the meeting and it shall also be posted at the office of the Council.

(2) A member, who wishes to move any motion for included any business for transaction not included in agenda, shall give notice thereof to the Registrar not less than 20 clear days before the date fixed for the meeting.

(3) The Registrar shall not less than 10 clear days before the date fixed for a special meeting, with the notice of meeting issue a complete agenda paper showing the business to be transacted in the said meeting.

(4) A member who wishes to move an amendment to any item included in the agenda, shall give notice tot the Registrar not less than 3 clear days before the dated fixed for the meeting.

(5) The Registrar shall, if the time permits cause a list of all the amendments in respect of which notice has been given under sub-rule (5) to be made available for the use of every member:

Provided that the President may, if the Council agrees, allow a notice to be discussed at a meeting, notwithstanding the fact that notice was received too late.

(6) The President and the Registrar shall discuss and decide whether or not, to include such notice/motion in the agenda and where such notice/motion is disallowed, the reason for doing so shall also be communicated to the member sending the notice/motion.

8. *Non-admissibility of motion..*— (1) A motion shall not be admissible—

(a) if the matter to which it relates is not within the scope of the functions of the Council;

(b) if not raised substantially, the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Council within one year of the date of the meeting at which it is designed to be moved:

Provided that such a motion may be admitted at a special meeting of the Council convened for the purpose on the requisition of not less than two-thirds of the members or the Council:

Provided further that nothing in these rules shall prohibit further discussion on any matter referred to the Council by the State Government in exercise of any of its functions under the Act.

(c) unless it is clearly and precisely expressed and raises substantially one definite issue; and

(d) if it contains inferences, ironical expressions or defamatory statements.

(2) The President may disallow any motion which in his opinion is inadmissible under sub-rule (1):

Provided that if the motion can be rendered admissible by amendment, the President may admit it in an amended form.

(3) When the President disallows or amends a motion the Registrar shall inform the member who gave notice of the motion, of the order of disallowance, or of the form in which the motion has been admitted, as the case may be.

9. *Attendance at the meeting.*—At each meeting, an attendance register shall be placed in the meeting room and every member present shall sign against his name in the register.

10. *President and the quorum of the meeting.*—(1) Every meeting of the Council shall be presided over by the President or if he is absent by the Vice-President or, if both President and Vice-President are absent by a presiding officer to be elected by the members from amongst themselves.

(1) All the references referred to the President shall be read as referring to the person for the time being presiding over the meeting.

(2) Eight members of the Council including the President, present in the meeting shall constitute a quorum.

Provided that in case of a meeting adjourned for want of quorum, no quorum shall be required in the next meeting to be convened on the same issue.

11. *Adjournment of meeting for want of quorum.*— If, at the time appointed for a meeting a quorum is not present, meeting shall not commence until a quorum is present and if quorum is not present on the expiration of 30 minutes from the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future time and date as the President may appoint.

12. *Decision by voting.*—(1) Every matter to be discussed and decided by the Council in the meeting shall be moved by a member in the shape of a motion and the President shall put it to the Council for voting.

(2) Votes shall be taken by show of hands or by division or by ballot, as the President may direct:

Provided that votes shall be taken by ballot if three or more members so desire and ask for it:

Provided further that if voting has been by show of hands, a division shall be taken if a member asks for it.

(3) The President shall determine the methods of taking votes by division.

(4) The result of the vote shall be announced by the President and shall not be liable to be challenged by any member.

(5) In the event of equality of votes the President shall have a second or a casting vote.

(6) During the meeting, the President may, at any time, make any objection, or suggestion or give information to elucidate any point to help the members which in the discussion.

13. *Minutes of the Council.*— (1) The proceedings of the meetings for the Council shall be preserved by the Registrar on a file, in the form of typed/printed minutes which shall be authenticated, after confirmation, by the President.

(2) Copies of the minutes of each meeting shall be submitted to the President by the Registrar within 15 days of the meeting and attested by him and a copy each shall cause to be sent to each member within 30 days of the meeting by the Registrar.

(3) The minutes of the meeting shall contain such motions and amendments as have been moved and adopted or negative with the names of the mover and the seconder, but without any record of observations made by any member at the meeting.

(4) If any objection regarding the correctness of the minutes is received within 30 days of the dispatch of minutes by the Registrar, such objections together with the minutes as recorded and attested shall be put before the next meeting of the Council for confirmation. At this meeting no question shall be raised except as to the correctness of the minutes of the
meeting:

Provided that if no objection regarding a decision taken by the Council at a meeting is received within 30 days from the date of dispatch by the Registrar, in relation to the minutes of the particular meeting such decision may, if expedient by put into effect before the confirmation of the minutes at the next meeting:

Provided further that the President may direct that action be taken on a decision of the Council before the expiry of the period of 30 days.

(5) The minutes of the Council shall as soon as practicable after their confirmation be made up in sheets and consecutively paged for insertion in the volume which shall be permanently preserved.

(6) A report shall be kept of the observations and that of the discussions at the meeting of theCouncil in an accurate manner for the use of the members of the Council. The detailed proceedings of the meeting shall be treated as 'confidential', and be kept in the office and shall be open to members for inspection. A copy of the proceedings in whole or in part shall be supplied to any member who applies for it. Such copy shall be marked 'Confidential' and be supplied on the payment of a sum fixed by the President which shall not exceed the cost of copying. No copy of proceedings held in camera shall be supplied, but such proceedings can be inspected by the members.

PART-III

POWERS AND DUTIES FO THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT

14. *Powers and duties of the President.*—The President shall exercise such powers and perform such duties as are contained in the provisions of the Act, rules and standing orders of the Council. He shall do such acts as he considers necessary in the furtherance of the objects for which the Council is established.

15. *Powers and duties or the Vice-President.*—If the office of the President is vacant or if the President for any reasons is unable to exercise the powers or perform the duties of his office, the Vice-President shall act in his place and shall exercise the powers and perform the duties of the President.

PART-IV

EXECUTIVE COMMITTEE

16. *Constitution of the Executive Committee.*—(1) The Executive Committee shall consist of the President ex-officio member and four members elected by the Council in its first meeting from amongst themselves as under:—

(a) One member to be elected from amongst members nominated under clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Act;
(b) One member to be elected from amongst members elected under clause (b) of subsection (3) of section 3 of the Act;
(c) One member to be elected from amongst members elected under clause (c) of subsection (3) of section 3 of the Act; and
(d) One member to be elected from amongst the ex-officio members under clauses (d),
(e) and (f) of sub-section (3) of section 3 of the Act.

(2) The President of the Council shall be the ex-officio Chairman of the Executive Committee. (3) The Registrar shall be the Secretary of the Executive Committee.

17. *Term of members of Executive Committee and manner of filling up of casual vacancies.*—(1) The term of the members of the Executive Committee shall be coterminus with their membership in the Council.

(2) A casual vacancy in the office of the Chairman or member of the occurring within six months prior to the date of which the term of the office of all the members is to expire, shall not be filled.

18. *Quorum.*—Three members of the Executive Committee, including the President shall form a quorum.

19. *Functions.*—(1) The Executive Committee shall have powers to discharge the functions of the Council within the frame work of the Act and the rule in accordance with the generalpolicy and principles laid down by the Council.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Executive Committee shall exercise the following powers, duties and functions namely :—

(a) superintend the publication of the Himachal Pradesh State Medical Registrar, which shall be prepared by the Registrar ;

(b) draft business (other than motions and amendments notified by the members) and submit recommendations thereon ;

(c) obtain from medical practitioners such information as may be necessary to facilitatethe requirements of the Act;

(d) consider and prepare report upon any objections that may seem to require the attention of the Council;

(e) examine and report on the petitions presented to the Council and referred to the Executive Committee;

(f) grant leave to the Registrar under sub-section (2) of section 14 of the Act;

(g) consider the reports/recommendations made by the Disciplinary Committee constituted under section 21 of the Act;

(h) consider the complaints against registered medical practitioner's for breach of the professional conduct and submit its report thereon to the Council; and

(i) report to the Council on all applications for registration which are not covered under the schedule of the Himachal Pradesh Medical Council:—

20. *Meeting of the Executive Committee.*—(1) The Executive Committee shall meet on such date, time and place as may be fixed by the President. The President may however if he thinks fit, upon a written requisition by not less than three members, call an extraordinary meeting of the Executive Committee on short notice.

(2) The President and the Registrar shall discuss and decide the agenda of the meeting.

21. *Attendance at the meeting.*—The Registrar shall give to all members of the Executive Committee seven clear days' notice in the case of an ordinary meeting and three clear days' notice in the case of an extraordinary meeting specifying therein the place, date and time of the meeting and also stating whether the meeting is an ordinary meeting or a extraordinary meeting and the business to be transacted therein.

22. *Attendance at the meeting.*—At each meeting an attendance register shall be placed in the meeting room and every member present shall sign against his name in the register.

23. *Business to be transacted at the meeting*.—(1) Every meeting or the Executive Committee shall be presided over by the President and if he is absent presiding officer of the meeting shall be elected by the members from amongst themselves.

(2) In the ordinary or extraordinary meeting no business other than that specified in the notice calling such meeting shall be transacted:

Provided that the presiding officer may permit any business to be discussed which is of urgent nature and which was not entered in the notice of the meeting.

(3) All questions at a meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the members present and in the event of an equality of votes the presiding officer shall have second or casting vote.

24. *Decisions by Circulation***.—**(1) When the matter is so urgent that its decision cannot wait till the holding of the next meeting of the Executive Committee, the same shall be decided by circulating it to all the members of the Executive Committee.

(2) When the matter is so urgent that even reference to the members of the Executive Committee by circulation shall defeat its object, the President may exercise the powers of the Council:

Provided that in such cases the action taken by the President shall be required to be ratified by the Executive Committee at its next meeting.

25. *Participation of a member other than a member of the Executive Committee.*—The President may invite a member of the Council, not being a member of the Executive Committee to attend any meeting of the Executive Committee for any particular item of the agenda. Any member so invited shall be free to participate in the discussion, relating to that
item but shall have no right to vote.

26. Minutes of meetings.—(1) A copy of the minutes of each meeting shall be drafted by the Registrar and submitted to the President within ten days from the date on which the meeting was held for his countersignatures after which there shall be sent to each member of the Executive Committee within twenty days from the date on which meeting was held. In case no corrections/suggestions are received from the members within 15 days from the date of despatch of the minutes of the meeting by the Registrar, the decision recorded therein shall be given effect to.

(2) The minutes shall be sent to the members of the Council after confirmation by the Executive Committee at the next meeting.

Provided that the President, may, if necessary, direct that the action be taken on a decision of the Executive Committee before the expiry of the said period 15 days mentioned above.

PART-V

TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES ADMISSIBLE TO MEMBERS OF THE COUNCIL AND THE EXECUTIVE COMMITTEE

27. *Travelling and other allowances to members of the Council and the Executive Committee***.—**(1) For attending the meeting of the Council or the Executive Committee the official members shall be paid travelling allowance/daily allowances in accordance with the provisions of the rules as are applicable to them.

(2) Non-official members of the Council shall be allowed travelling allowance as admissible to the highest Grade-I officers of the State Government.

(3) All non-official members of the Council and the Executive Committee shall be entitled to get a fee of Rs. 500/- (rupees five hundred only) per day for attending a meeting of the Council or the Executive Committee which shall be paid in addition to the travelling allowance as admissible to them under sub-rule (2) of this rule.

PART-VI

INQUIRIES

PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN INQUIRIES

28. *Complaints to be addressed to the Registrar.*—A complaint by a person r body charging the registered practitioner with an infamous conduct in professional respect shall be made in writing addressed to the Registrar which shall state the grounds of complaint and be accompanied by one or more declarations as to the facts of the case.

29. *Contents of declaration.*—1) Every declaration shall state the description and true place of abode of the declarant the source of information and grounds for the belief of the declarant and its truth shall be accurately and fully stated.

(2) The declarations which are made in contravention of this rule shall not be accepted as evidence.

30. *Suspension of registration of mentally or physically disabled person.*—(1) If at any time it is made to appear by an affidavit that a person registered under the Act, has become mentally or physically disabled to the extent that the continued practising of such person is contrary to the public welfare, the Executive Committee may hold inquiry into the facts submitted and may order the suspension of the resister medical practitioner for a specified period from carrying on his profession or practice in medicine.

(2) The registration of a person who seeks retirement from the service on medical grounds shall be temporarily cancelled for a period of three years:

Provided that he/she may be registered again after a period after a period or three years if declared fit for practice by the Council.

31. *Guilty conduct person has applied for registration or when registration has already been rejected.*— Whenever information is received by the Registrar that a medical practitioner, who is an applicant for registration or whose name has already been rejected for registration, has been guilty of conduct which prima-facie constitutes infamous conduct in professional respect, the Registrar shall make abstract of such information under intimation to the President.

32. *Conviction for a cognizable offence.*—Whenever information reaches the office of the Council that a registered practitioner has been charged with a cognizable offence or has been under the censure of any judicial or other competent authority in relation to his professional character or has been guilty of conduct which prima-face constitute infamous conduct in a professional respect, the Registrar shall make an abstract or information and shall submit the same to the President.

33. *Penalty/removals from the register.*—Every person registered under the Act who has been found after inquiry by the Executive Committee to have been guilty of improper conduct which when regard is had to such person, profession or calling it improper shall be liable to one of the following penalties:—

(a) caution or reprimand or a reprimand and caution.
(b) suspension for a specified period from practising in modern scientific system of medicine or performing acts in relation thereto;
(c) deletion of his name from the register.

34. *Action on the abstract/complaint.*—(1) Where a complaint has been lodged, the abstract of the complaint and all other documents having bearing on the case shall be submitted by the Registrar to the President who shall if he thinks fit instruct the Registrar to ask the registered practitioner by means of a registered letter for any explanation which he may wish to offer.

(2) The documents including any explanation forwarded by the charged practitioner to the Registrar, shall then be referred to the Executive Committee which shall consider the same and shall have power to cause further investigation to be made and further evidence to be taken and to take legal advice if necessary.

(3) If the Executive Committee is of the opinion that a prima-facie case is not made out, the matter shall not be proceeded further and the Registrar shall inform the complainant of the resolution of the Executive Committee.

(4) If the Executive Committee is of the opinion that the circumstances suggest for issuing a letter of warming to the charged practitioner, it shall send its findings to the Council, and in either case if the Executive Committee is of the opinion that the case is one in which an inquiry is ought to be held, the President shall direct the Registrar to take steps for the
institution of an inquiry and for having the case heard and determined by the Executive Committee.

(5) The decision on complaint against the delinquent registered practitioner shall be taken within a time limit of six months.

35. *Notice of Inquiry by the Executive Committee.*—(1) Any inquiry to be conducted under sub-section (1) of section 22 of the Act shall be initiated by the issuing a notice in writing on behalf of the Executive Committee by the Secretary of the Executive Committee addressed to the charged registered practitioner.

(2) The notice issued under sub-rule (1) above shall specify the nature and particulars of the charge and shall inform the charged practitioner of the day on which the Executive Committee intends to deal with his case and shall call upon him to answer the charge in writing and to attend before the Executive Committee on the said day.

(3) The notice shall be in Form-II with such variations as circumstances may require and shall be sent three weeks before the date of inquiry.

36. *Supply of documents to charged registered practitioner.*—(1) In every case in which the Executive Committee resolves that an inquiry is required to instituted and a notice for an inquiry is issued accordingly, the complaisant if any, and the charged registered practitioner shall for the purpose of his defence or replies, as the case may be, and upon request in writing for that purpose signed by himself be entitled to be supplied by the Registrar with a copy of nay declaration, explanation or answer or other document given or sent to the Executive Committee for or one behalf or the other party, which such other party may be entitled on proper proof to use at the hearing or evidence in support of or in answer to the charge specified in the notice of inquiry.

(2) Any answer, evidence or statement forwarded or application made by the charged registered practitioner between the date of issue of the notice and the day fixed for the hearing of the charge shall be dealt with by the Chairman of the Executive Committee in such manner as he himself, or under legal advice, thinks, fit.

(3) All material documents which are to be laid before the Executive Committee as evidence with regard to the case shall be typed and a copy thereof be practitioner, the following procedure shall be followed:—

37. *Procedure where complainant appears.*—Where the complainant appears personally or through his representative other than a legal practitioner, the following procedure shall be followed:—

(a) The Registrar as the Secretary of the Executive Committee shall read to the Executive Committee the notice of the inquiry addressed to the charged registered practitioner:—

(b) The complainant shall be invited to state his case by himself or through his by himself or through his representative and to produce his proof in support of the same. At the conclusion of the complaint's proof his case shall be closed.

(c) The charged registered practitioner shall then be invited to state his case by himself or through his representative and to produce the proof in support of the same. He may speak before the Executive Committee about his case either before or at the conclusion of his proof but only once.

(d) At the conclusion of the charged registered practitioner's case the Executive Committee shall, if the said charged registered practitioner has produced evidence, hear the complainant in reply on the case generally but shall hear no further evidence except in any special case in which the Executive Committee thinks fit to produce such further evidence. If the charged registered practitioner produces no evidence the complainant shall not be heard in reply, except by special leave of the Executive Committee:

(e) Where a witness is produced by any party before the Executive Committee he shall be first examined by the party producing him and then cross examined by the opposite party and then re-examined by the party producing him. The Executive Committee reserves to itself the right to decline to admit in evidence any declaration where the declarant is not present or he declines to submit to cross examination:

(f) The President as the ex-officio Chairman of the Executive Committee and the members of the Executive Committee through him may also put question to any witness or party.

38. Procedure where complainant does not appear.—Where there is no complainant or no complainant appears the following procedure shall be followed:—

(a) The Registrar as the Secretary of the Executive Committee shall read to the Executive Committee the notice of inquiry addressed to the charged registered practitioner and shall state the facts of the case and produce before the said Committee evidence by which the same is supported.

(b) The charged registered practitioner shall then be invited to state his case by himself or through his representative and to produce proof in support of the same. He may speak before the Executive Committee either before or at the conclusion of his proof but only once.

39. *Inclusion of deliberations.*—Upon the conclusion of the hearing on the case the Executive Committee shall deliberate thereon in private and at the conclusion of the deliberations the President as the ex-officio Chairman of the Executive Committee shall for the purpose of summing up the result of the deliberations call upon the Chair as may be applicable to the circumstances of the case:—

(1) In the case of charged registered practitioner who has been convicted of a cognizable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 alleged against him:—

"that ..... has proved to have been convicted a of cognizable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 as alleged against him in the notice of inquiry."

(2) In the case of a registered practitioner charged with infamous conduct in a professional respect:—

(a) "that the Executive Committee do now proceed to decide the charges alleged against ..... in the notice of inquiry and the same have been proved or have not been proved."

If this resolution is not carried, further hearing of the case shall stand adjourned till the next or some other future meeting of the Executive Committee, as the Executive Committee shall direct, and the hearing thereof shall be taken at such next future meeting as an adjourned case.

If the said resolution is carried, the Executive shall be called upon by the President to vote on the following resolution to be put from the Chair:—

(b) "that the fact or the following facts (specifying them) all alleged against ..... in the notice of inquiry have been proved to the satisfaction of the Executive Committee."

If this resolution is carried, the Executive Committee may either proceed may either proceed to adjudge whether on the facts proved the accused registered practitioner has been guilty of infamous conduct in a professional respect and to direct the Registrar to delete his name from the register or may postpone its judgement and adjourn the case until the next or some other future meeting.

(3) In the case of the charged registered practitioner convicted of a felony (or misdemeanors or crime or offence) or charged with infamous conduct in a professional respect, for the purpose of deciding whether or not he judgement of the Executive Committee of the conviction (or facts) proved shall be postponed and the Executive Committee shall be called upon by the President as the ex-officio Chairman of the Executive Committee to vote on the following resolution to be put from the chair:

(c) "that the Executive Committee do now proceed to pronounce its judgement on the conviction (or facts) proved against ....."

If this resolution is not carried the judgement of the Executive Committee shall stand postponed till its next or some other future meeting as it shall direct and the case shall be taken at such next or other future meeting as a case on which judgement has been postponed.

If this resolution is carried, the Executive Committee shall proceed at once to pronounce its judgement on the case and shall be called upon by the President as the ex-officio Chairman of the Executive Committee to vote on the following resolution to be put from the Chair:—

In the case of a conviction:—

(d) "that ..... having been proved to have been convicted of the felony (or misdemeanor or crime or offence) alleged against him in the notice of inquiry the Registrar as the Secretary of the Executive Committee be directed to delete his name from the register."

In the case of practitioner charged with infamous conduct in professional respect:—

(e) "that the Executive Committee do now adjudge ..... to have been guilty of an infamous conduct in a professional respect and direct the Registrar to delete from the register the name of ....."

If the resolution (d) or (e) as the case may be is not carried, the President may announce the judgement or the Executive Committee in the following from :—

"that the Executive Committee do not see fit to direct the Registrar to delete from the register the name of Shri .....

40. *Notice of adjourned hearing.*—(1) In the event of an adjournment of the hearing or a postponement of judgment to another session, the Executive Committee on the case coming up again for consideration may hear the charged registered practitioner and the complainant (if any) on the day fixed for further consideration and the complainant and the practitioner shall each be requested to furnish to the Registrar in writing any further facts or evidence which they may desire to lay before the Executive Committee.

(2) The notice shall be given so as to allow at least twenty eight days between the day on which the notice is given and the day appointed. No further facts or evidence presented by a party to the inquiry for consideration shall be received or considered by the Executive Committee unless a statement thereof has been previously furnished to the Registrar in compliance with this rule.

41. *Hearing.*—(1) On the case coming before the Executive Committee for further consideration the Registrar as the Secretary or the Executive Committee shall, if necessary, state the facts and explain the position of the case to the Executive Committee. The charged registered practitioner shall then be invited to speak before the Executive Committee either personally or through his representative of which he may have duly given notice to the Registrar. The complaint (if any) shall also be invited to speak before the Executive Committee either personally or through his representative and lay before the said Committee any further evidence of which he shall have duly given notice.

(2) At the conclusion of the further hearing, the Executive Committee shall deliberate on the case in private and at the conclusion of the deliberation the President as the ex-officio Chairman of he Executive Committee shall call upon the said Committee to vote in an judgment was postponed on a resolution under sub-rule (3) (c), (3) (d) of (3) (e) of rule 39, as the case may be.

42. *Resolution for removal of name.*—(1) If, in the opinion of the Executive Committee the conduct of the charged registered practitioner is found infamous in relation to the medical profession particularly under any code of ethics prescribed by the Council or by the Medical Council of India then by the formal resolution put by the Chairman or the Committee from the Chair it may recommend to the President for removing the name of the said practitioner from the register as per provisions of section 22 of the Act.

(2) An order by the Executive Committee to remove the name of registered practitioner under the provisions of section 22 shall be subject to the confirmation by the Council and shall take effect from the date of such confirmation.

43. *Notice of removal of name.*—(1) The Registrar shall upon the removal of any name from the register pursuant to the provisions of section 22 of the Act forthwith send notice of such removal to the registered practitioner and such notice shall be sent by a registered letter addressed to the last known address or to the registered address of the said practitioner. The Registrar shall also send forthwith intimation of any such removal to the Dean or the Secretary or

the appropriate officer of body or bodies from which the said practitioner has received his qualification or qualifications.

(2) A person whose name has been removed from the register under the provisions of these rules shall forthwith surrender his certificate or registration to the Registrar and the name so removed shall be published in the Official Gazette.

44. *Intimation to the licensing body*.**—**the Registrar shall within one month after any name has been removed from the register by order of the Council as per the provisions of section 22 of the Act send to the body from which the practitioners have received their qualifications a list of such names and shall call the attention of each licensing body to the following resolution of the Executive Committee:—

"The Executive Committee recommends that no person whose name has once been removed from the register and has not been restored to the said register shall without previous reference to the Council be admitted to the examination for the Act."

PART-VII

RESTORATION OF NAME TO THE REGISTER

45. *Power to re-enter the name*.**—**The Council, if it thinks fit may, on an application received from a person whose name has been deleted from the register under section 22 of the Act, direct the Register, to re-enter his name in the register.

46. *Application for re-entry of the name*.—Any person whose name has been removed from the register by the direction of the Council under section 22 but who still possesses a qualification entitling him to be registered under the Act, may make an application to the Council in Form-III for re-entry of his name in the register and the following procedure shall be followed in the respect of every such an application:—

(1) The application shall be in writing addressed to the Council and signed by the applicant and shall state the grounds on which the application in made.

(2) The application shall be accompanied by—

(a) A declaration made by the applicant setting forth the facts of the case and stating that he is the person originally registered; and

(b) One of the following documents:—

(i) Applicant's diploma:
(ii) His certificate of registration in original if the same has not been already returned by him:
(iii) A certificate in Form-IV from tow practitioners registered under the Act as to his identity.

(3) The statement in the application shall also be verified by certificates in writing to be given by two practitioners registered under the Act who are residents in the neighborhood of the place where the applicant has been residing since the removal of his name and they shall testify his present good character.

(4) Before the application is considered by the Council the Registrar shall notify the same to the licensing bodies whose qualifications were held by the applicant at the time his name was removed from the register and he shall further by the letter addressed to the person or body (if any) on whose complaint the applicant's name was removed, give notice of the
application and of the time when the Council intends to consider the same.

(5) The Council shall consider the application and may, if it thinks fit, adjourn the consideration of it to a future date to require further evidence or explanation from the applicant.

(6) The application and the certificate referred in sub-rule (3) shall be Forms-V and VI respectively with such variations as the circumstances may require. Printed forms shall be kept by the Registrar in his office and he shall supply them to intending applicant.

PART-VIII

APPEALS

47. *Appeals.*—(1) Every appeal, preferred to the Council under section 24 of the Act shall be addressed to the Registrar and shall be accompanied by a fee as prescribed in the Himachal Pradesh Medical Council (Fee) Rules, 2007.

(2) Every appeal shall be deemed to have been duly presented if the same is sent by registered post, or has been delivered personally or through an agent authorised in writing by the appellant, in the office of the Council.

(3) Every appeal shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and shall contain the following particular:—

(a) The order against which the appeal is preferred.
(b) The grounds of appeal briefly but clearly set out.

(4) Every appeal shall be signed by the applicant and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for the verification of grounds of appeal.

48. *Procedure for hearing of appeals.*—(1) If the appeal is not preferred in the manner laid down in rule 47 or is not accompanied by the prescribed fee it shall be summarily rejected.

(2) If the appeal is admitted, the Council shall decide the same after giving the appellant and where the appeal is against the order of the Register passed in relation to any person other than the appellant, after giving such person an opportunity of being heard. Every decision of the Council shall be communicated to the Registrar who shall giving effect to the same.

PART-IX

MAINTENANCE OF ACCOUNTS AND FUNDS OF THE COUNCIL

49. *Management of property.*—The Registrar shall be responsible for the maintenance of all properties of the Council, and shall maintain a stock register of the movable property of the Council.

50. *Deposit of Council's money in the Bank.*—The Council shall open an account in the State Bank of India and all money received by it under sub-section (1) of section 13 of the Act shall be deposited in the Bank subject to the provision of rule 51.

51. *Receipt of money on behalf of the Council.*—All money payable to the Council shall be received on behalf of the Council by the Registrar or any other employee of the Council authorised by him in writing in this behalf and shall be deposited in the Bank on the day following that on which these are received. A receipt in the form as prescribed in Form-VII
shall be granted by the Registrar in lieu of having received the money.

52. *Operation of account of the Council.*—The account of the Council shall be operated jointly by the Registrar and the President (and in the absence of the President these shall be operated by the Registrar and the Vice President).

53. *Permanent advance.*—The Registrar shall retain a permanent advance of five thousand rupees.

54. *Maintenance of accounts.*—All money received or spent on behalf of the Council shall without any reservation be brought to the account of Council in the general cash book to be maintained in the form prescribed in Form-VIII under the direct supervision of the Registrar, and in his absence under the supervision of an employee of the Council authorized by him in writing.

55. *Audit of accounts.*— (1) The accounts of the Council shall be examined annually by the Examiner, Local Fund Accounts of the Finance Department of the State Government.

(2) The details of the audit shall be communicated to the Council by the Examiner, Local Fund Accounts, Finance Department, Himachal Pradesh Government; and after the Executive Committee has considered the same, the

audit report and the audited statement of accounts shall be forwarded to the Department of Health and Family welfare, Copies of the audit report shall at the same time circulated to all the members of the Council, for information.

56. *Preparation of annual statement of accounts.*—The Registrar shall in the month of July each year cause to be prepared a statement of income and expenditure of preceding financial year ending 31st March, and draw the attention of the Council to such matters which appears to him necessary for being brought to the notice of the Council.

57. *Preparation of estimates.*—(1) The Registrar shall, in the month of October each year or on such date as the President may fix, cause to be prepared an estimate of income and expenditure of the Council for the year commencing on the 1st of April of the ensuing year and shall submit the same to the Council.

(2) In estimates provisions shall be made for the fulfillment of liabilities of the Council and for effectually carrying out the provisions of the Act.

(3) The Council shall consider the estimates submitted to it under sub-rule (1) and may sanction the same with or without any alterations as it may deem fit.

58. *Preparation of supplementary estimates.*—The Council may, at any time, during the year for which any estimates have been sanctioned cause supplementary estimates to be prepared and submitted to ti. Every such supplementary estimates shall be considered by the Council in the same manner as if it were original annual estimates. No expenditure shall be incurred which is not duly provided in the estimates sanctioned under sub-rule (3) of rule 57 or in a supplementary estimates.

59. *Payment of Bills.*—All the salary bills of the staff and other vouchers presented as a claim for money shall be received and examined by the Accountant of the Council. On being satisfied that the claim is in order, the bill shall be passed- (a) by the Registrar, if the claim relates to a salary bill of the staff or is for an amount not exceeding one thousand of the Council:

60. *Refund.*—Amounts received by the Council on account of fees shall not be refunded under any circumstances. The amounts thus received shall remain credited to the account of the Council.

Provided that any amount paid by a practitioner in excess of prescribed fees shall be credited to the suspense account of the Council and may be refunded if claimed within a period of three years and if no claim for refund is made within the aforesaid period the amount shall be credited to the account of the Council:

PART-X

CONDITIONS OF SERVICE OF REGISTRAR/DEPUTY REGISTRAR AND OTHER STAFF AND THE SUPERVISORY POWERS AND DUTIES OF REGISTRAR/DEPUTY REGISTRAR

61. *Appointment of Registrar/Deputy Registrar.*—(1) The post of the Registrar/Deputy Registrar shall be permanent. The pay of Registrar shall be equivalent to that of the Senior Administrative Grade of the State Health Services and the pay of the Deputy Registrar shall be equivalent to that of the Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) of the State Health Services.

(2) The Council shall be the appointing authority for the post of the Registrar/ Deputy Registrar and the Registrar/Deputy Registrar shall be the appointing authority for all other appointments in the Council.

(3) The post of the Registrar shall be filled by the Council by promotion from the post Deputy Registrar. The post of the Deputy registrar shall be filled by direct selection by the Council from amongst suitable candidates with post-graduate qualifications shall be given preference.

(4) The Registrar /Deputy Registrar shall draw allowances equivalent to the allowances, admissible to similar posts in the State Government like dearness allowance, house rent allowance, city compensatory allowance, transport allowance, conveyance allowance, nonpracticing allowance, academic allowance, post-graduate allowance, travelling allowance, daily allowance, etc. The leave and travelling entitlements shall be similar to that of the employees of the State Government on the similar posts.

62. *Functions of Registrar/Deputy Registrar*.—(1) The Registrar/Deputy Registrar shall perform statutory functions as prescribed under the Act and these rules and he shall conduct and have charge of the correspondence of the Council and shall issue all requisite notices in the manner required under these rules.

(2) As the Executive Officer of the Council, he shall be the competent authority to sanction all financial transactions.

(3) The Registrar or any other officer functioning as the Registrar or his nominee shall be authorised to lodge complaint in the Court of the Magistrate and he shall also represent in Court case on behalf of the Council with the assistance of an Advocate.

63. *Appointment of other staff members.*—(1) The staff member shall draw pay equivalent to the similar posts in the State Government and shall also be eligible to draw allowances as admissible to the employees of the State Government, like dearness allowance, house rent allowance, city compensatory allowance, transport allowance, travelling allowance, daily allowance etc. The leave and travelling entitlement of the staff members shall be equivalent to that of the employees of the State Government on similar posts.

(2) The Registrar, subject to the approval of the President,—

(a) shall appoint the staff against duly sanctioned posts; and

(b) may engage such temporary personnel for a period not exceeding 89 days at one time, as may be required from time to time and pay the remuneration to them.

(3) The appointments made under sub-rule (2) shall be reported to the Council.

64. *Retirement.*—The normal age for retirement of all the employees of the Council shall be as applicable to the employees of the State Government. The Council may, grant extension in service to any employee for periods not exceeding one year at a time and not more than two such extension shall be allowed to any officer/official even in exceptional circumstances.

65. *Resignation.*—(1) The Registrar may resign his office by giving three months' notice in writing to this effect to the President and such resignation shall take effect from the date of acceptance of such resignation by the Council. If he leaves his office without giving any notice as aforesaid, he shall be liable to deposit an amount equivalent to total emoluments
payable in lieu of such notice.

(2) Any other employee of the Council may resign his office by giving one month's notice in writing to this effect to the Registrar if he is temporary, and three months notice if he is permanent, and such resignation shall take effect from the date of acceptance thereof. In the case of failure to give required notice, the employee shall be liable to deposit an amount equivalent to total emoluments payable in lieu of notice period.

66. *Disciplinary authority.*—(1) The disciplinary jurisdiction/authority:—

(a) over the officers shall vest with the Executive Committee; and
(b) over the employees of the Council, shall vest with the Registrar.

(2) The appellate jurisdiction/authority for officers and employees of the Council shall vest with the Council.

67. *Termination of service.*—(1) The Council may terminate the services of any employee other than the Registrar/Deputy Registrar, after holding due enquiry and giving such an employee fair opportunity to explain as to why his service may not be terminated.

(2) The Council may impose any other penalty on any employee other than the Registrar/Deputy Registrar, after giving such employee a show cause notice.

(3) The Council may, with the previous sanction of the State Government, terminate the services of the Registrar/Deputy Registrar as per the procedure laid down under the Public Servants (Inquiries) Act, 1857 (Act No. 37 of 1857).

68. *Gratuity and other terms nf service.*—The Council shall provide for gratuity, in accordance with the statutory provisions. Other terms of service like leave, leave encashment, leave travel concession, etc., shall be similar to those applicable to the employees of the State Government. The Council shall provide medical insurance policy for the staff members and their dependent families and shall also reimburse expenditure incurred for medical treatment for himself and his dependant family, in accordance with the rules applicable to the State Government employees.

69. *Power to grant leave.*—The Registrar shall be authorized to grant leave to the employees of the Council and appoint substitutes in their places.

70. *Contributory Provident Fund.*—The employees of the Council shall not be entitled to pension but the permanent employees shall be allowed the benefit of Contributory Provident Fund in accordance with the rules given in Appendix-'A'.

PART-XI

MISCELLANEOUS

71. *Prosecution.*—(1) If the information is received by the Registrar that an offence under the Act has been committed by any officer or official, he shall, if there, is a complaint, shall ask the complainant to produce a statutory declaration or otherwise, prima-facie proof in support of his complaint.

(2) The Registrar shall thereon bring the matter before the Executive committee which if so empowered may institute proceedings in the matter and represent in court cases as provided under rule 62 (3).

73. *Interpretation of rules.*—In case of any interpretation or clarification of these rules the decision of the State Government shall be final.

FORM-I

(*See* rule 5)

Book/ Registrar showing the particulars of Members of the Council

Name	Address	Whether nominated or elected (electorate which he represents)	Tenure	Date of commen cement of tenure	Date of which the tenure is to expire in the ordinary course	If the appointment is terminated before the due date mentioned in column (6) then the date and reason of earlier termination	Remarks
11	2	3	4	5	6	7	8

FORM-II

(*See* rule 35)

Notice to the charged registered practitioner to attend proceedings regarding inquiry under section 22 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003

Sir,

On behalf of the Executive Committee of the Himachal Pradesh Medical Council, I give you notice that complaint and evidence has been laid before the Executive by which the complainant makes the following charges against your namely:—

1. .....

2. .....

It is informed that you are required to be examined under section 22 of the Act and I am directed to give you notice that on the day.....of.....20....., a meeting of the Executive Committee will be held at ..... at ..... O'clock in the ..... to consider the above mentioned charges against you and decide whether or not they should direct that your name be removed from the register, pursuant to section 22 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2006). You are requested to answer in writing the above mentioned place and time to establish any denial or defence that your may have to make and you are hereby informed that if your do not attend as requested, the Executive Committee may proceed to hear and decide the said charges in your absence.

Any Answer or other communication or application which you may desire to make in respect of the charge or your defence thereto must be addressed to the undersigned and transmitted so as to reach him not less than ..... days before the day appointed for the hearing of the said case.

Registrar.

FORM-III

(*See* rule 46)

APPLICATION FOR RE-ENTRY OF NAME REMOVED UNDER SECTION 22 IN THE REGISTER OF MEDICAL PRACTITIONERS

To

The Himachal Pradesh Medical Council,
.....
.....

Sir,

I, the undersigned (a) ..... holding the qualifications (b)..... do hereby solemnly declare the following:—

In the year (c) ..... my name was duly registered in the register in respect of the following qualification viz, (d) ..... and on the date of deletion of my name I was registered in respect of the following additional qualification viz (e).....

The Registrar removed of my name from the register, I have been residing at (g)..... and my occupation has been (h) .....

It is my request that my name may be restored in the register as (i) .....

Yours faithfully,

Signature.
Name and Address .....
Registration No. .....

Note.—(a) Insert full name, (b) Insert qualification, (c) Insert date of registration (d) Insert qualifications, (e) Insert additional qualifications, (f) Insert date of removal (g) give particulars, (h) Insert particulars as to professional occupation (i) a registered medical practitioner.—

_____

FORM-IV

[*See* rule 46 (2) (*b*) *(iii*)]

CERTIFICATE IN SUPPORT OF APPLICATION

It is certified that _____ whose name formerly stood in the register of medical practitioners under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) is well known to me and he bears a good moral character.

Name : _____
(name of person certifying)

Address: _____
_____

Qualification: _____

Date: _____

Signature of the person certifying
Registration No. _____

FORM-V

[*See* rule 46 (6)]

STATUTORY DECLARATION BY APPLICANT FOR RESTORATION OF NAME TO THE REGISTER OF MEDICAL PRACTITIONERS UNDER SECTION 22 OF THE ACT

To

The Himachal Pradesh Medical Council,
.....
.....
.....

(1) I, the undersigned (a) ..... now holding the qualifications of (b)..... do solemnly declare that the following are the facts of my case on the basis of which I seek re-entry of my name in the register of Medical practitioners.

(2) On (c) ..... my name was duly registered in the register in respect of the following qualifications namely, on (d) ..... i.e. the date of inquiry I was registered in respect of the same qualifications (e) ..... and also in respect of the following additional qualifications, namely:-

(3) At an inquiry held on the (f) ..... day of ..... the Council directed my name to be removed from the register on a complaint made to the Himachal Pradesh Medical Council by (g) ..... of ..... Charging me of (h).....

(4) Since the removal of my name from the register I have been residing at (i)..... and my occupation has been .....

(5) It is my intention that my name may be re-entered in the register (i) .....

(6) The grounds of application are (k) .....

Signed.

Declared at ..... on ..... before me.

Magistrate or Notary Public

Note.—(a) Insert full name (b) Insert qualifications, if any (c) Insert date, (d) Insert date of inquiry, (e) mention the qualifications (g) Insert name and address of the complainant, (h) Insert charge on which name was removed, (i) Insert the address (j) Insert particulars as to professional occupation (k) All facts and grounds on which the application is made should be clearly and concisely stated.

———

FORM-VI

[*See* rule 46 (6)]

CERTIFICATE REGARDING VERIFICATION OF CONTENTS OF PARAGRAPHS (4) AND (5) OF APPLICATION IN FROM-V

I ..... certify as follows:—

(i) My registration No. is .....

(ii) I have read paragraphs (4) and (5) of the application of ..... and say that I have been and am well acquainted with the said ..... both before and since his name had been removed from the register I believe him to be a person of good character and the statements made by me are to be the best of my knowledge, information and belief, true.

Signature

FORM-VII

[*See* rule 51]

RECEIPT

See rule 51 of the Himachal Pradesh Medical Council, (General) Rules, 2007 and rule 3 (3) of the Himachal Pradesh Medical Council (Fee) Rules, 2006, HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL Book No. .....Serial No..... Dated.....Received from Sh/Smt ..... the sum of Rs. ..... (rupees.....) on account of..... in cash/through pay order. Registrar	See rule 22 of the Himachal Pradesh Medical Council, (General) Rules, 2007 and rule 3 (3) of the Himachal Pradesh Medical Council (Fee) Rules, 2006. HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL Book No. .....Serial No..... Dated .....Received from Sh/Smt ..... the sum of Rs. .....(rupees.....) on account of..... in cash/through pay order. Registrar

FORM-VIII

[*See* rule 54]

HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL GENERAL CASH BOOK

Month and date	Folio number of classified abstract	Departmental major/minor and detailed head and sub-head of account	Particulars receipt and names of persons from whom received	Number of bank receipt and date
1	2	3	4	5
Amount	Daily Total	Remittance to Bank No. date of Bank receipt	Amount	Month
6	7	8	9	10
Date	Folio Number of Classified abstract	Departmental major/minor subheads and detailed sub-heads of account	Particulars of charge and name of payee	Number of voucher
11	12	13	14	15
Number and date of cheque	Amount	Daily total		
16	17	18		

APPENDIX-'A'

[*See* rule 70]

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES FOR THE EMPLOYEES OF THE COUNCIL

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content,—

1 (1) (a) "depositor" means an employee on whose behalf a deposit is made under these rules;

(b) "employee" includes every holding a substantive appointment in the office of the Himachal Pradesh Medical Council;

Explanation.- An employee on probation in substantive appointment shall not be considered an employee for the purpose of these rules until he is confirmed;

(c) "family" means wife or husband as the case may be, and parents, children and step children wholly dependent on the employee;

(d) "fund" means the Contributory Provident Fund established by the Council under rule 70 of the Himachal Pradesh Medical Council (General Rules) 2007.

(e) "interest" means interest which is paid on deposit in a Government Savings Bank under the rules in force in respect of such institution;

(f) "rules" means the Contributory Provident Fund rules for the employees of the Himachal Pradesh Medical Council; and

(g) "salary" includes all fixed monthly allowances by way of pay or personal allowances, but does not include allowances granted to meet specific expenditure such as travelling or conveyance or house rent allowances whether paid on daily or monthly or yearly basis.

(2) Words and expression used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

2. Every employee appointed or promoted to an appointment in the office of the Council shall, unless specifically exempted by the President of the Council, subscribe at the rate of 8 paise in a rupee on his salary to a Provident Fund of which a conjoint account shall be opened at the Post Office Savings Bank in the official name of the President

The deduction shall be made by the Council from every salary bill presented and shall be credited at once to the Fund. In calculating this deduction fraction of a rupee of salary shall be omitted.

3. The Council shall make a contribution to the deposit account of each depositor equal to the amount of the deduction made from his salary under the preceding rule. Such contribution shall be credited to the Fund month by month in favour of such employee, together with the deduction from salary.

4. A Contributory Provident Fund Ledger (Form I appended to these rules) shall be maintained in the office of the Council. The amount deducted monthly from each depositor's salary under rule 2 and the monthly contribution referred to in rule 3 of these rules shall be entered at once in the Contributory Provident Fund Ledger, and the amount so entered shall be duly paid into the Post Officer Savings Bank to the credit of the depositor in the conjoint account referred to in rule 2 of these rules payment into the Post Office Savings Bank shall be made between 1st and 4th day of each month in order that the interest may accrue thereon.

5. No subscription or contribution shall be made to the Provident Fund during the period an employee is on leave without pay.

6. As soon as possible after the close of a financial year and after the interest has been added by the Post Office in the Savings Bank conjoint account pass book a copy of the account of each depositor shall be furnished to him in Form-II appended to these rules.

7. No employee shall be eligible to receive any part of or share in any sum contributed by the Council on his behalf unless he has been in service of the Council for at least twelve months, and has, in the event of resignation been permitted by the President to resign his appointment.

8. No employee of the Council, who, in the opinion of the President, is guilty of dishonesty or other gross misconduct shall, except with the approval of the Council, be eligible to receive any part of or share in any sum contributed by the Council on his behalf or any accumulated interest or profits thereof. The Council shall be entitled to recover as the first charge from the amount, for the time being at the credit of a servant a sum equal to the amount of any loss or damage at any time sustained by the Council by reason of the employee's dishonesty or negligence.

9. (1) If any employee is dismissed, the Council may withhold all or any part of the contribution made by it to his account together with the interest accrued thereon and pay to the servant only the balance at his credit without such contribution and interest thereon.

(2) Except as provided in rules 8 to 10 of these rules, the balance referred to in sub-rule (e) is not liable to forfeiture on dismissal or on conviction for an offence.

10. If at the time of the resignation, transfer, dismissal or death of an employee, there is outstanding or the Council against him the Council may deduct such outstanding amount from his deposit and pay him the balance, if any.

11. Any contribution and interest accrued thereon withheld from the employee under rules 7, 8, 9 and 10 shall belong to the Council and shall be withdrawn from the Savings Bank conjointaccount and credited to the Funds of the Council.

12. In the event of depositor's death, before retirement or after retirement but before the money has been handed over to him the amount at his credit shall, subject to rules 7, 8, 9 and 10 be distributed among such persons as may be named in the nomination of the employee (Form III appended to these rules) which shall be made when the first deposit is made in the Fund account of the employee. A depositor may from time to time change his nominee or nominees or nominees by written applications to the Registrar.

13. On a depositor leaving the service of the Council his account shall be closed and if the amount at his credit is not withdrawn within six months, the account shall be written off as a dead account and the amount thereafter shall be paid only under the orders of the President.

14. When an account becomes dead it shall be closed in the Contributory Provident FundLedger, the money being drawn out of the Savings Bank conjoint account and credited in the Cash Book as miscellaneous receipt. If the amount is subsequently claimed, the entries in the Cash Book and the Contributory Provident Fund Ledger shall be traced out and order of the President obtained for the purpose of payment. The payment shall made and the fact of payment and reference to the order, shall be made against the entry of each account book to avoid double payment.

15. A conjoint Post Officer Saving Bank Account shall be opened in the official name (designation) of the President. The Saving Bank pass book shall be kept for safe custody in the office safe. Any withdrawal from the conjoint account shall be made only on requisition signed by the President.

16. Notwithstanding anything contained in the above rules, when pecuniary circumstances of the depositor are such that concessions is a matter of absolute urgent necessity, a temporary advance not exceeding three months pay or half of the balance at the credit of the depositor whichever is less may be allowed by the President from the conjoint Savings Bank Account for any of the following purposes:—

(i) to pay expense s incurred in connection with the illness of the subscriber or any member of his family;
(ii) to pay expenses incurred in connection with the marriage or funeral ceremony which in accordance with the religion of the subscriber it is incumbent to perform and in connection with which it is obligatory that the expenditure shall be incurred . When a subscriber has taken advance a second advance shall not be him unless the amount already advanced has been fully paid up.

Explanation.—for the purpose of this rule pay means the basic pay and does not include allowances of any kind.

17. The advance shall be recovered in not more than 24 equal monthly instalments. A subscribers may, however, at his option, make repayment in less than 24 instalments or may repay two or more instalments at the same

time. Recoveries shall be made monthly commencing from the first payment of a full months salary after the advance is granted but no recovery shall be made when the subscriber is on leave without pay. Instalment shall be recovered by compulsory deductions from salary and shall be additional to the usual subscription. Each instalment of recovery shall on recovery be at once paid into the conjoint Savings Bank Account.

18. If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayments are completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the depositor to the Fund or in default, be ordered by the President to be recovered by deduction from the emoluments of the depositor in a lump sum or in monthly instalments not exceeding 12 as may be directed by the President.

19. Now with standing anything contained in these rules, if the President is satisfied that the money drawn as an advance from the Fund Under rule 16 has been utilized for a purpose other than that for which it was sanctioned the amount in question shall forthwith be repaid by the depositor to the Fund, or in default, be ordered by the President to be recovered by deduction in a lump sum from the emoluments of depositor.

20. For getting the benefit of the contributory Provident average employee sign a written declaration that he has read these rules and agrees to abide by them.

FORM –1

[*See* rule 4 to Appendix 'A']

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND LEDGER

Depositor Sr. No.	Name	Designation	Opening Balance	Date
1	2	3	4 Rs. P.	5

Deposit in the Saving Bank By subscriber	By HP Medical Medical Council	Total upto date	Date	Amount	Total upto date
6 Rs. P.	7 Rs. P.	8 Rs. P.	9 Rs. P.	10 Rs. P.	11 Rs. P.

Interest paid by the saving Bank		Total up to date	Total deposit including interest in Saving Bank (Columns 11 to 14)
Date	Amount		
12 Rs. P.	13 Rs. P.	14 Rs. P.	15 Rs. P.

Advance to Deposit		Balance in Saving Bank		Balance credit of each subscriber at each end of month	Remarks
Date	Amount	Date	Amount		
16 Rs. P.	17 Rs. P.	18 Rs. P.	19 Rs. P.	20 Rs. P.	21

FORM-II

[*See* rule-6]

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Year of Account.....

Name of Deposit or	Opening Balance	Deposits during the year		Total
		Deposit or's Share	Council's Share	
1	2	3	4	5

Recoveries@ during the year	Interest accruing during the year	Withdrawal during the year	Balance
6	7	8	9

*This also includes..... recovered in earlier years as detailed below but brought on to the account in this year.....

..... Signature of Registrar

..... Date.....

@ includes interest on credits relating to earlier periods also.

*for missing credits/debits please see reverse

Note.—1. If the depositor desires to make any alteration in nomination already made, jja revised nomination may be field forthwith in accordance with the rules of the Fund.

2. In case the depositor was owning/having no family and had nominated a persons/persons other than a member/members of his family and subsequently acquired a family he/she shall submit nomination in favour of a member/members's of his/her family.

3. The depositor is requested to satisfy himself/herself as to the corrections of the statements and to bring errors, if any, to the notice of the Registrar within ..... month(s) from the date of its receipt.

MISSING CREDITS/DEBITS

Details of Missing Credits/Debits are given below:—

In case these subscriptions/withdrawals/refunds of withdrawals are actually made the depositor may give the particulars of the vouchers in which the deductions were made/amounts were withdrawn indicating the No. of each vouchers, date of its encashment, name of the treasury, head of account and the net amount of the voucher (in case of Non-Gazetted Government servant these particulars may be furnished by the Head office)

Subscription			Refund of the Withdrawals		Advance/withdra wals	
Year	Month of Salary	Amount	Year	Month of salary	Year	Month of Salary

FORM-III

[*See* rule 12]

FORM OF NOMINATION

A. When the depositor has a family and wishes to nominate one member thereof

I hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family as defined in of rule 1(1) (c) of the Contributory Provident Fund Rules, 2007 as contained in Appendix "A" to the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2007, to receive the amount that may stand to my credit in the fund in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid to me:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Contrigencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, Address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5

Dated this..... to..... at .....

Two witnesses to Sign

1. .....
Name.....
Address.....

2. .....
Name.....
Address.....

B. When the depositor has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below who are members of my family as defined rule 1(1) (c) of the Contributory Provident Fund Rules as contained in Appendix "A" of the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2006 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid to me and state that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names.

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Amount of share to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the of person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5	6

Dated ..... to ..... at .....

Signature of depositor
Two witnesses to Sign

1. .....
Name:.....
Address:.....

2. .....
Name.....
Addresses.....

Note.—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the depositor in the Fund at any time

C. When the depositor has no family and wishes to nominate one person

I having no family as defined in rule-1 (1) (c) of the Contributory Provident Fundn Rules as contained in Appendix "A" to the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2007 hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid to me:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Contingencies the happening which the nomination shall become invalid	Name, Address and relationship of the of person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5

Dated..... to .....at .....

Two witnesses to Sign

1 .....
Name:.....
Address:.....

2 .....
Name .....

Address:.....

Note.—Where a depositor who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become shall Invalid in the event of his subsequent acquiring a family.

D. When the depositor has no family and wishes to nominate more than one person.

I having no family as defined in rule-1 (1) (c) of the Contributory Provident Fund Rules as contained in Appendix "A" of the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2007, hereby nominate the person(s) mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid to me and state that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names:—

Name and address or	Relationship with depositor	Age	Amount of share accumulation to be paid each	Contingencies on the happening which the nomination shall become Invalid	Name, Address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5	6

Dated..... to..... at.....

Signature of depositor

Two Witness to Sign
1.....
Name:.....
Address:.....

2.....
Name:.....
Address:.....

Note: *****This columns should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the depositor in the Fund at any time.

Note: ** When a depositor who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family

*Number to be indicated

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित